

प्रकाशक —

अखिल भारत चर्चा सघ,

बनारसवाड़ी चर्चा, सी पी

[ प्रथम आवृत्ति १००० प्रति ]

# विषय-सूची

	विषय	पृष्ठ संख्या
१	भूमिका	१
२	प्रारम्भिक कथन	३
३	अखिल भारत चर्चा सभ का उसकी स्थापना के समय का विधान	६
४	सभ का वर्तमान संशोधित विधान	११
५	सभ का संगठन	१७
	(i) केन्द्रीय कार्यालय	
	(ii) हिसाब समिति	
	(iii) निरीक्षण	
	(iv) बजट समिति	
	(v) शिक्षा-समिति	
६	प्रांतीय शाखाएँ	१९
७	केन्द्रीय दफ्तर के कार्य	२०
८	प्रांतीय शाखाओं का संगठन	२१
	(i) प्रतिनिधि	
	(ii) शाखा-मन्त्री, सहायक-मन्त्री व प्रांतीय कार्यालय	
९	भाषा	२३
१०	प्रांतीय शाखाओं की सूचना	२४
	(i) बजट (आय-व्यय अनुमान-पत्रक)	
	(ii) माऊ की व मजदूरी की दरें	
	(iii) कर्ष लना	
	(iv) मरान बनवाना	
	(v) कार्यकर्त्ताओं का वेतन	
	(vi) सगन-समवालय	
११	कार्य-वृद्धि की विशेष सूचनाएँ	२७
१२	कार्य-वृत्ता द	२९
१३	ऐसे विरगों की सूचा जिनकी जानकारी वार्षिक रिपोर्ट के लिए आवश्यक होनी है	२९
१४	प्रमाण-पत्र	३६
१५	प्रमाण पत्रों के नियम	३७
१६	सादी एन्वैडियाँ	४०
१७	सभ के सूत्र सदस्य	४१
१८	स्टैंडर्ड क्रिम	४१

## विषय

## पृष्ठ संख्या

१९	उधारी	४१
२०	अ-तर्पण-नियम व्यवहार	४२
२१	द्विगम	४२
२२	द्विती	४३
२३	प्रोविडेंट फंड तथा उसका नियम	४३
२४	भुतकर प्रोविडेंट-फंड	४६
२५	कार्यकर्त्ताओं को शान्त द्वारा हिदायते	४६
२६	जीवन निर्वाह मजदूरी	४६
	(i) तुनी पूनियों में कते एत का पडता	५०
	(ii) तुनी पूनियों के मृत का पडता	५१
	(iii) सादी की नियन क्रिमों का पडता	५२
२७	कामगार-सेवा शोध का विनियोग	५३
	(i) दस्तकारी तालिम	
	(ii) सरजाम वितरण करना तथा सरजाम कार्यालय खडाना	
	(iii) सादी विद्यालय खडाना	
	(iv) कारीगरों के बच्चों की शिक्षा	
	(v) प्रौढ शिक्षा	
	(vi) सुनार व तशोधन	
	(vii) आरोग्य	
	(viii) ऋणमुक्ति की योजना	
२८	कामगारों की जमा रकम	६१
२९	औषधालय	६२
३०	काम के मिसाल से पूजा	६३
३१	बख्त स्वाधालयन	६३
३२	कामकर्त्ता शिक्षा विधिर	६६
३३	बख्तों सब के सिद्धांत सम्बन्धी सामयिक प्रश्न	६७
३४	सादी कार्यकर्त्ताओं का वेतनमान	६९
३५	प्रश्नोत्तरी	७१
	(*) राजूजी तथा पूज्य गांधीजी में हुए कुछ प्रश्नोत्तर	

## भूमिका

सब की स्थापना की आज १७ साल बीत चुके हैं। इस अर्थ में सब की तरह २ की परिस्थितियों में से गुजरना पड़ा है। कई समस्याओं को सुलझाना पड़ा है, और कितने ही सकटवालों का सामना भी करना पड़ा है। फिर भी सब का काम का फेलाव दिन २ बनता ही रहा है, और अभी कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। आज करीब १५ हजार देहातों के अन्तर्गत ४ लाख से अधिक कामगारों को सब और सब से प्रमाणित खादी कार्य करने वालों के जरिये रोजी मिल रही है। अपनी क्षमताओं में ही रहकर, अपनी क्षमता या अन्य धंधों को समझ कर, अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार, इतने कामगार जब चाहें तब और जितना चाहें उतना काम करके लाभ उठा सकते हैं, ऐसी योजना से काम करने वाली और कोई दूसरी सस्था हमारे सामने नहीं है। आज तक का मोटा हिसाब यह बतलाता है कि सब ने ४ करोड़ १० लाख से अधिक रुपये ऐसे कामगारों में काम के जरिये पहुँचाये हैं।

इस फेलाव का सारा आधार और इसका उज्वल मरिच्य कार्यकर्ताओं पर ही निर्भर है। यदि इतनी शक्ति के हजारों कार्यकर्ता न होंगे तो इसे आगे बढाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। त्याग करने की भावना और सेवा के साथ २ स्वनन्दार पढ़ कार्यकर्ता ही सब की सही पूँजी है, और यह पूँजी कैसे बढ़े इसकी सब की फिज है। इसके लिये सब कई तरह के प्रयत्न कर रहा है। यह 'मार्ग-सूचिका' इसी प्रयत्न का एक फल है।

इस महत्त्व की चीज की यदि परिपूर्ण रूप में प्रकाशित किया जा सकता तो हमें अधिक सतोष होता; मगर सब के अनेकविध कामों की सींचतान में, और खास करके आन्धी इस विषय परिस्थिति में हमारी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी है। तीन में से केवल दो हिस्से ही अब तक लिखे जा सके हैं— और ये भी सपूर्ण नहीं हैं। विशेष करके दूसरा भाग केवल एक शाखा के ( मध्यप्रान्त महाराष्ट्र शाखा के ) अनुभवों से तैयार किया गया है। इसमें संदेह नहीं कि अग्र शाखाओं के लिये इसमें उपयोगी सामग्री है। परन्तु, यह भी उतना ही समभव है कि दूसरी शाखाओं के कई महत्त्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सामग्री इसमें न हो। ऐसी अपूर्ण हालत में भी 'मार्ग-सूचिका' शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित करने की जरूरत इसलिये समझी गई है कि काम के फेलाव के साथ २ नये कार्यकर्ताओं की तादाद बहुत बढ़ गयी है। पुराने अनुभवों का कोई साहित्य उनके मार्ग-दर्शन के लिये उपलब्ध नहीं है। परिपूर्ण साहित्य तैयार करने में अत्यधिक धिन्न का मय है। जितना साहित्य बन सका है उतना ही ऐसे कार्यकर्ताओं के हाथों में चला

जय तो कार्यक्रम बनन में उन्हें मदद मिल सकती है। हमने यह भी आशा रखी है कि जो कार्यक्रम पुराने हैं, और नवनों हैं वे इनका प्रयोग करके अपने अनुभवों की एक नयी दृष्टि प्राप्त कर सकें, जिससे इसका दूसरा परिणाम निकल सके। हमें इस विधि पर परामर्श की अपने कार्यकर्ताओं के हाथों में प्रयोग करना आवश्यक भी माना है। पाठक देखेंगे कि हमारे माग की प्रक्रिया हम के संन्यायी भी जानेंगे कि हमें जानेंगे। मुख्य प्रक्रिया लिखने की उम्मीद हमें पूरी हो उसके विधि ही ता २०८४ का परिणाम उदे उठा ले रहे। हमें अपने मनीष की आशा से यह प्रक्रिया लिखने की, और हमें हमें से सदैव-प्रक्रिया क्रमवद्ध करने की चला में ही है।

ता २६९४२

एवम्प्राप्त माधवी,

सहायक मंत्री,

अतिरिक्त भारत चर्चा सम, वर्ष

# अखिल भारत चर्चा संघ

## मार्ग-सूचिका

### भाग पहला

भारत के बेजार गरीबों को काम मिलने की दृष्टि से कपड़ा बनाने का काम बढ़े बढ़े कारखानों में न होकर घर घर में चले यह विचार पूज्य गाँधीजी का सन् १९०८ ई० का है जब कि उन्होंने 'हिन्द स्वराज' पुस्तक की रचना की थी। पर वह विचार 'हिन्द स्वराज' की रचना के बाद भी बहुत दिनों तक कार्यरूप में परिणत नहीं हुआ। हिन्दुस्तान में लौटने पर जब गाँधीजी ने सन् १९१५ ई० में अहमदाबाद के नजदीक कोचरब में सत्याग्रहार्थम वायम किया तो आश्रम के सदस्यों के लिये कपड़े खुद तैयार करके पहनना लाजिमी रखा था। परन्तु सूत के लिये कारखानों पर निर्भर रहना पड़ता था। पूज्य गाँधीजी को यह ठीक न लगा; तब व हाथ बटाई का काम में लग। उस समय के उनके कुछ लक्ष नीचे उद्धृत किये जात हैं —

ता० १४-२-१९१६

मुझे केवल अपने पदों में बनी चीज का उपयोग करना चाहिये, और उन उपयोगों में जहाँ वहाँ भी कमी हो उसकी पूर्ति करके उन्हें परिपूर्ण बनाना मेरा कर्तव्य है।

आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में 'स्वदेशी' का नाट्यकारी त्याग ही प्रजा की निर्धनता का कारण है।

हाथ कपड़े का खंदा मृतप्राय दस्त में है।

मं किमी धन्य देख को हानि नहीं पहुँचाना। अपन नम्रमात्र से मैं अपना ध्यान अरुनी सम्पत्ति में ही लगाना हूँ। मेरी ईका रक्षा का विरोधी स्वरूप की नहीं है।

ता० १०-१२-१९१९

हम ही वर्तमान समस्या है अपन अल्पके लिये मात्र और धर का जगना। यदि हम विद्या का सरोवरों रहे तो हम भारतीय युवकों और बालिकाओं की प्राण धर में कुछ कार्य दिदे बिना ही उन्हें अपने धन से बर्षित करते हैं।

बिना बिना धरती धरती के भारतीय कृषक का गारा निश्चित है। वह बेजत किराये से अपना घर नहीं पा सकता। उछ सहकारी उद्योग का आवश्यकता है। कर्षक का उद्योग सज्ज, सरल और सज्ज है।

ता० २१-४-१९२०

बेजार श्री का धर्मा द हो, फिर उसे गिराय धर्म पर बेहन के द्वारा उद्योग शुरू करने की आवश्यकता नहीं।

सादो उन्हें मदद पहुंचाती है, जो शुरू है।

बरा और करे का पुत्र न मारत व आधक और मन्दि पुनरुत्थान में लक्ष्य करी मदद पहुंचाना। यदि लाखों को मृत्यु से बचाना है, तो उन्हें देखे पर में पुन धर्मों पहुंचान में मदद करनी चाहिये। और प्रत्येक माम में फिर पुनरुत्थान बलना चाहिये।

ता० १८-८-१९२०

भारत की आवश्यकता का सारा सून और सारा बन् हाथ-बतार् और हाथ जुनाई से पैदा हो सकता है। हिन्दुस्तान की अपन सुग्य कृषि व्यवसाय और किराी पूरक धर्मों की जरूरत है। भारत के करोड़ों लोगों के लिये हाथ बतार् ही एक पया उद्योग है।

मिल उद्योग को बिना सति पहुंचाये केवळ प्रयत्न और सवि क परिवर्तन से इस राष्ट्रीय उद्योग का पुनर्जावन हो सकता है।

अधाल के समय में भी सस्ट का सुकाविला करने के लिये हाथ बतार् शुरू करनी चाहिए बीमा-पालिसी है।

इस हाथ-बतार् के काम का कामिस में भी उल्लेख दिया। पहले पहल अमृतसर काँग्रेस में सन् १९१९ में राष्ट्रीय महासभा (इण्डियन नेशनल काँग्रेस) के सामने हाथ-बतार् और हाथ-जुनाई के धर्मों की फिर मिलाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सिनवर, सन् १९२० ई० में कलकत्ते में काँग्रेस के विशेष अधिवेशन में काँग्रेस के प्रस्तावों में पहिली बार मादी का उल्लेख हुआ जिसमें कहा गया कि प्रत्येक श्री, पुत्र और बालक को सत कातना चाहिये और शादी का व्यवहार करना चाहिये।

दिसंबर, सन् १९२० ई० में नागपुर काँग्रेस में बलवंत बाला प्रस्ताव दुहराया गया ।

मार्च सन् १९२१ में बेजगाडा में अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी की समा में २० लाख चरें चलाये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिससे भिन्न भिन्न काँग्रेस कमेटियाँ खादी का प्रचार करने लगीं ।

सन् १९२२ में देश में होने वाले खादी के कार्य पर दस्त देना रखने के लिये अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी ने 'अखिल भारतीय खादी विभाग' की स्थापना की ।

सन् १९२३ ई० में कोकोनाडा काँग्रेस में बढ़ते हुए कार्य को समालाने के लिये 'अखिल भारत खादी मण्डल' बनाया गया ।

अखिल भारत खादी मण्डल को अखिल भारतीय खादी विभाग से रु० १२,३६,७४६ १३० की निधि काम में लगी हुई मिली थी ।

सितम्बर सन् १९२५ ई० में पटना की अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी की समा में खादी कार्य का मार पुन्य गाँधीजी द्वारा स्थापित अखिल भारत चर्खा सघ की सौंपा गया । गाँधीजी ने नीचे लिखे प्रस्ताव से पटने में २३ नितंबर, सन् १९२५ ई०, का अखिल भारत चर्खा सघ को जन्म दिया —

चूकि हाथ से कातन की कला और खादी का विकास करने के लिये उसके विषय की समस्त जानकारी रखन वाली पूरा सस्था स्थापित करने का समय आ पहुचा है और चूकि अनुभव से यह गिद्ध हो चुका है कि राजनीति, राजनैतिक उथल पुथल और राजनैतिक सस्था के नियंत्रण और प्रभाव से दूर रहने वाली एक स्थायी सस्था के त्रिा ऐसा विनास हं। एतना सम्भव नहीं है इसलिये अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी का स्वीकृति से इस प्रस्ताव के द्वारा काँग्रेस सगठन के अन्तर्गत किन्तु स्वतंत्र अस्तित्व और सत्ता रखनेवाली 'अखिल भारत चर्खा सघ' नाम की सस्था स्थापित की जाती है ।

सघ की स्थापना के समय उसका बिधान नीचे लिखे अनुसार था :—



# अखिल भारत चर्खा संघ

का

1

## विधान

१ इस सच में सदस्य, सङ्गोगी, और चदा दाता, जिनकी म्याख्या अपन दी गई है, हुआ करेंग, तथा उसकी एक कार्यकारिणी समिति होगी, जिनके निम्न सदस्य होंग, और वे पाच वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे —

१	मनूतमा गोषी,	समापति
२	मोलाना शौकतअली	
३	श्रीपुत्र राजेद्रप्रसाद	
४	॥ सतीशचन्द्र दास गुप्ता	
५	॥ भगनलाल मु गोषी	
६	॥ जमनालाल बजाज,	कीर्त्तप्यक्ष
७	॥ साधु धुरेंधी	} मदीगण
८	॥ शंकरलाल बैर	
९	॥ जवाहरलाल नेहरू	

२ कार्यकारिणी-समिति क अधिकार — इस समिति को अखिल भारत खदर बोर्ड, और सब प्रांतीय खदर बोर्डों की सब रकम, माल जमादाद लेने, इस धन सम्पत्ति तथा अन्य भूमिों का उपयोग करने, तथा असो उक्त खदर बोर्डोंपर जो आर्थिक जिम्मेवारी है, उसे अदा करने का पूरा अधिकार रहगा ।

३ कार्यकारिणी समिति को हक होगा कि वह हाथकटाई और खदर के काम का विस्तार करने के लिये कर्ज लें, खदा जमा करे, स्थावर जमादाद प्राप्त करे । योग्य जमानत पर रकम लगावे, रहन लिख देवे, और लिख लेवे, खदर सस्थाओं को कर्ज, इमदाद, अथवा धाउटी के रूप में आर्थिक सहायता करे, हाथकटाई विस्तार के लिये विद्यालय या सस्थाएँ खलाद, अथवा ऐसे विद्यालय या सस्थाओं को मदद देवे खदर मन्त्र सौल या उनको मदद देवे खदर सावम स्थापित करे काग्रेस का आर से खुद काता हुआ काग्रेस का चदा-खुत लेवे, प्रमाण-पत्र देवे, अपने उद्देशों की पूर्ति के लिये जो बातें करना जरूरी हों, वे सब

करे। इससे यह भी अधिकार होगा कि वह सच के अधवत् कौंसिल के कारोबार चलाने के लिये नियम बनाये, और जमी के विधान में समय २ पर आवश्यक मामल हों वे सशोधन करे।

४ अमो की कौंसिल में के मृत्यु, इस्तीफा या अय कारण से रिक्त हुए स्थान बाकी के सदस्य भर लेंगे।

५ कौंसिल को अधिकार होता कि वह अपने सदस्यों की सरन्या किसी समय अधिक से अधिक १२ तक बढ़ा सके। कार्यकारणी-समिति की समा का फोरम चार सदस्यों का होगा।

६ सारे निर्णय बहुमत से किये जायेंगे।

७ कार्यकारणी-समिति नकदी या माल के रूप में मिलने वाले सब चदे, दान और फीस का पूरा बराबर हिसाब रखेगी। कोई भी बहीखाते देख सकेगा, और हर तीन महीने में योग्य आडिटर्स द्वारा हिसाब का आडिट कराया जायेगा।

८ सच का केन्द्रीय कार्यालय, सत्योप्रह आश्रम, साबरमती में रहेगा, और जो व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य होना चाहे वह अपन चदे का सूत केन्द्रीय कार्यालय को नीचे लिखे फार्म में दी हुई तफसील लिखकर भेजे।

सेवा में,

धीमान् मन्नी जी,

अखिल भारत चर्पा सच,

साबरमती

भायवर,

मैं, नेशनल कांग्रेस के चन्दे के लिए खुद का काता हुआ सूत राज,  
 बजन भेज रहा हूँ। मैं कांग्रेस कमेटी का सदस्य  
 हूँ। मेरी उम्र साल की है, और मेरा पेशा है।  
 होना चाहता हूँ। मेरा

ता०

हस्ताक्षर

(कृपया हस्ताक्षर साफ लिखें, महिला सदस्य यह भी लिखें कि वे विवाहित है या नहीं।)

९. बंद (गुप्त) के मित्रों पर बंदी जो उनके परिवार और जाति की देखभाल यदि ठीक पाये हो निर्भरता पैदा करने पर तत्काल भी—कमिश्नर को प्रमाण पत्र भेज दें —

“यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राम  
 अखिल भारत चम्पा सच को गज सून, प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी  
 की काँग्रेस कामटी की सदस्यता सूच के लिये भेजा है,  
 इस प्रमाणपत्र को एक एक नकल मन्त्री जी के हस्ताक्षर सहित गुप्त मन्त्री मन्त्र  
 को दी जाय ।

१०. केन्द्रीय कार्यालय काँग्रेस सदस्यता के लिए आय हुए सारे गुप्त का समीक्षा कर दिमाग रखे ।

### सदस्य

११. अ मा च सच के दो तरह के सदस्य हुआ करेंगे—‘अ’ और ‘ब’।

(१) ‘अ’ वर्ग के सदस्य वही हुआ करेंगे जो उम्र में २० वर्ष से ऊपर हों, आदतन सारी पढ़ित हों, और जो स्वयं काता हुआ, समान और अच्छे बर का सयिक २००० गज सून को वापस की या किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति या सस्था की दें ।

(२) ‘ब’ वर्ग के सदस्य वही हुआ करेंगे जो उम्र में २० वर्ष से अधिक हों, आदतन सारी पढ़ित हों, तथा जो सालाना स्वयं काता हुआ, समान व अच्छे बर का २००० गज सून दें ।

१२. काँग्रेस की सदस्यता के लिए अ मा च सच को दिया गया गुप्त सच के बंधे का दिमाग माना जायेगा ।

### सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य

१३. अ और ब दोनों वर्गों के सदस्यों का कर्तव्य होगा कि वे हाथ कटाए और सारी का प्रकार करें ।

१४ सदस्यों की अधिकार होगा कि वर्तमान कार्यकारिणी समिति का समय समाप्त होनपर व 'अ' वर्ग के सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति चुन लेवें। आज से ५ वर्ष बाद योग्य रीति से बुलाई गई सभा में उपस्थित सदस्यों में से तीन चौथाई बहुमत से सच के विधान में रद्दी बदल की जा सकेगी।

१५ यदि किसी एक स्थान में ५० सदस्य बन जावें, तो वे 'अ' वर्ग के सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति को स्थानिक विषयों पर सलाह देने के लिए ५ सदस्यों की एक सलाहकार समिति बना सकेंगे।

### सहयोगी सदस्य

१६ वे लोग, जो अखिल भारत चर्खा सच को सालाना पेशगी २३) चदा दें, तथा आदनन खादी पहिनते हार्, सहयोगी सदस्य माने जायेंगे।

१७ कोई व्यक्ति जो आदतन खादी पहिनता हो, तथा सच को एक मुश्त ५००) पेशगी दे, सच का आजीवन सहयोगी बन सकेगा।

१८ सभी सहयोगी सदस्य (सच के) वक्तव्य, वार्षिक-रुत्त-उपट, तथा वार्षिक-विवरण नि शुल्क पाने क अधिकारी होंगे।

१९ प्रत्येक व्यक्ति जो सच का सदस्य बनना चाह नीचे दिए फार्म पर प्रार्थना-पत्र भेजे —

खेधा में,

श्रीमान् मन्त्री जी,

अखिल भारत चर्खा सच,

साबरमती

मायबर्,

मैंने अखिल भारत चर्खा सच क नियम पडे है। मैं            वर्ग            सदस्य बनना चाहता हूँ, और            चदा, वर्ष के लिए भेत रहा हूँ।  
इसका मुश्त            वर्ग            सहयोगी सदस्य बनाने।

आपका

तारीख

हस्ताक्षर

पता

पूज्य गांधीजी न सच का स्थापना करते समय सा० १ अक्टूबर १९२५ के "यंग इंडिया" के उसका विधान के विषय में नीचे लिखे अनुसार स्पष्टीकरण किया था —

"इस विधान की गौर स दशों पर माना हो जायेगा कि यह सभ्या खिलाल तो लाकूप्री नहीं है, इतना ही नहीं बल्कि ऐसा भी लगता कि यह एक आदमी या बीज है। इस प्रकार का विधान तो उसे बनाने वाला का गर्न जादिर करता है या बनाए वाला का हम काम में तथा अपने में गहव विश्वास दिखलाता है। अपन मन की जिस हदतः मनुष्य का धाह मिल सपती है उस हदतक यह लकर मैंन दशा है। इक इस सच का यह रूप देन में मेरा अभिमान कारण नहीं है। बल्कि असली बमह यह है कि व्यापार सस्थाओं कमी लाकतः हा ही नहीं सपती, और यदि हाय-कटाई का काम साविक और सपल बनाना हा तो उसका गर राजनिय और दुह आधिक धग का अब पूरी तरह विमस करना चाहिये। अतिल भारत चहा सच का स्थापना ऐसा विमस मिद करन के लिय हुर है।"

"मन अपन सहकाय केव" उपयोगिता का सायाल रणकर उन है। हरएक बृदस्य को उसकी विशेष योग्यता के कारण मैंने चुना है। इस चुनाव का करत बह प्रतों के प्रतिनिधित्व का तो कोई सवाल ही नहीं था। कई सव कार्यकताओं को मैंन जानबूझकर हमलिये छा" दिया कि काई गैर-मसह पैग न होन पावे। मैंने रसाय-दल बालों का हसीम्य षेड दिया कि य अपन समय का अधिकाल खाी की नहीं दे सकत। उस समय किनी न यह प्र। सी उठाया था कि क्या सादी के राजनैतिक महत्व पर स मेरा विश्वास उठ गया है। मैंन जोरां से इसना उचर "नहीं" दिया था। सादी का आधिक महत्व ही उसका राजनैतिक महत्व है। भूख लोगों में किसी प्रकार की राजनैतिक जागृति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जहाँ क लगों को सप" की जहरत ही न हो तथा जहाँ के लोग दूसरे सुकों क घोषण पर निर्भर करत हों वहाँ सादी का राजनैतिक महत्व कुठ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में सादी का राजनैतिक महत्व होन के कारण ही ये है कि इस देश को कपडा चाहिये, यह देश दूसरे देशों का घोषण नहीं करता है तथा यहाँ के करोड़ों दहाती बर्न क चार महीनों म बिना काम बैठे रहते हैं। सच क काय का यह रूप अयत महत्व का है। इस काम में कहर राजनीतिल व कस सयप्रही भी आर्थिक कार्य में माग लेने के लिय शामिल हो सकत है। इसलिये खहर तथा चले में विस्तास रसनवाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं सच में करीक होन के लिय दावत देता हू, वह चाहे जिस जाया बर्न का हो, और उसके राजनैतिक विचार बन मा हों।

सच क विधान में जो पहिल दिया जा चुका है समय समय पर परिवर्तन होन गय सा० ८ ११ ३७ की बंबई में सच की रजिस्ट्री ई० सत्र २८६० के यानून नंबर २१ के अउर फरई गई। उसका बतमान मशुखित विधान बीच दिया गया है —

# अखिल भारत चर्खा संघ

## विधान तथा नियमावली

### प्रस्तावना :—

यह सच, पन्ना में अखिल भारत महासभा समिति (आल इण्डिया कॉमिंस कमिटी) के नीचे लिखे प्रस्ताव के मुताबिक २३ नवंबर १९२५ को स्थापित हुआ —

“निम्न्य हुआ कि अब कॉमिंस देश के हित में जो आवश्यक हो वह तमाम राजनैतिक काम हाथ में ले व उस चलाए और इसके लिये कॉमिंस के तमाम कोष व सगठन का उपयोग करे; मिलाव उस कोष या धन—सम्पत्ति के जो विशेष कार्यों के लिये आवेन हो और जो अखिल भारत खादी मण्डल और प्रान्तीय खादी मण्डलों का हो। इन खादी मण्डलों की जो कुछ धन—सम्पत्ति होगी वह इनकी तमाम मौजूदा आर्थिक जवाबदारियों के सहित अखिल भारत चर्खा सच को दे दी जायेगी जिसे कि महात्मा गांधी ने कॉमिंस सचठन के अंतर्गत परतु स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने स्थापित किया है व जिसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इन तथा दूसरे कोषों को भरतने या काम में लाने का पूरा अधिकार प्राप्त है।”

इस सच के विधान व नियमों में सच की समय समय पर हुई बैठकों में परिवर्तन किये गये हैं, जैसे कि १८ से २० दिसम्बर १९२८, ४-१ अप्रैल १९२९, १७ से १९ मितवर १९३७, ७ स २० नवंबर १९४० और २० से २२ जून १९४१। सन् १८६० के कानून न २१, अर्थात् सोसायटीज रेजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार इस सच की ता० ८ नवंबर १९३७ को रजिस्ट्री हुई है। सच के उद्देश्य व क्षेत्र के ठीक अर्थ के बारे में अब संशय पैदा हुई है और चूंकि सच के प्रचलित विधान और नियमों की कई धाराओं में खमियां पाई गई हैं, यह निम्न किया जाता है कि अब तक के लिखे विधान व नियमों तथा उनके संशोधनों की जगह अब नीचे लिखा विधान अमल में आवे —

## अखिल भारत चर्खा संघ

का

## विधान तथा नियमावली

१. नाम—इस सच का नाम अखिल भारत चर्खा सच होगा।

२. उद्देश्य — उद्देश्य ये होंगे :—

हाथ-कपड़े तथा हाथ-बन्दी व हाथ-बुनी भाँजी की टांगलियाँ व दिवाँ के साथ हाथ-बन्दी की  
जम तक आवश्यकताओं के द्वारा—

(अ) गरीबों को पूरा या आंशिक रूप से देकर हाथ-बन्दी बंद करना।

(आ) उनको दवा, पत्र-पत्रिकाएँ देकर हाथ-बन्दी बंद करना।

(इ) टाकी बन्दारी से मुक्त करने के लिए आवश्यक सुविधाएँ देना तथा प्रत्येक जेल के  
दिवानों में, प्रयोग होने पर या दूर देखी-जाने वाली जेल में।

(ई) मानवता और न्याय-सम्मान, शान्ति, स्वच्छता, आदि की सुविधाएँ देना।

(उ) हाथ-कपड़े तथा हाथ-बन्दी की आवश्यकताओं को दूर करने के लिए आवश्यक सुविधाओं  
का विचार देने तथा प्रयोग करने के लिए आवश्यक सुविधाएँ देना, जेलों में जेलियों को सुविधा  
देना; और

(ऊ) पुराने जेलों के अनुसूचित दूर से भाग या प्रयासों करना।

### नियम—

१ जेल के सारथी को हरदू के हीरो-ब्राउन व सारथी व सारथी-संरक्षण।

४ आजादी व सामान्य शरतों का मिश्रण 'दूर-दूरी-संरक्षण' होगा (जिसका जमान आता  
पत्रकार 'संरक्षण' करके दिया है)। यही जेल का संरक्षण संरक्षण होगा।

५ (अ) आजीवन सारथी नीचे लिखे जमान तथा दूरी के जमान द्वारा जमान संरक्षण रिक्त स्थानों  
पर आजीवन सारथी के लिए या सारथी समय पर से —

नाम	पद
१ महात्मा गाँधी (अध्यक्ष)	सेनानायक, सारथी, सी पी
२ बाबू राजेन्द्रप्रसाद	संरक्षण आध्यक्ष, दोगला, पटना
३ सरदार बामगाई पटेल	३८ गरीब हारथ, बरई
४ राजकुमारी ७ मृत धुप	सेनानायक, सारथी सी पी
५ श्री वि व जेरानायी	२१६ बाबाबाबी रोड बरई

	नाम	पता
६	„ गोपबन्धु चौधरी	पास्ट बरी, जि० कन्न
७	„ लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम	साबरमती (अहमदाबाद)
८	„ कृष्णदास ऊ० गांधी	सेवाग्राम, वर्धा, सी. पी
९	„ पुरुषोत्तम कानजी	३९६ कालब देवी रोड, अंबई
१०	„ शंकरलाल घे० बंकर	मिर्जापुर रोड, अहमदाबाद
११	„ धीरेन्द्र मजूमदार	रणारी, पास्ट गुमार्डगज, जि फ़ैजाबाद, यू पी
१२	„ श्रीकृष्णदास जाजू (मनो)	बनारासबाबो, वर्धा, सी पी

(आ) सालाना सदस्यों की सदस्या ३ से अधिक न होंगी। वे आजीवन सदस्यों द्वारा सहयोगियों में से हर साल इस काम के लिये चुनाई गई समा म उपरिष्ठत सदस्यों के ३ बहुमत से के लिये जाया करेंगे।

ध्वना —आजीवन सदस्यों की सदस्या ७ से कम और १२ से अधिक कमो न होगी।

६ मण्डल के द्वारा समय समय पर निश्चित किये गये स्थान में मण्डल का केन्द्रीय कार्यालय रहेगा।

७ साल में मण्डल की कम से कम एक समा जरूर होगी। परन्तु मन्त्री जब जब आवश्यक समझे तब तब अधिक बार भी समार्ये बुला सकेंगे और मन्त्री को मण्डल के कम से कम ३ सदस्य मांग करे तब मण्डल की समा बुलानी होगी।

सदस्यों को परिपत्र भेजकर भी प्रस्ताव पास किया जा सकेगा। लेकिन इस तरह स्वीकृत प्रस्ताव मण्डल की आगामी समा में पेश किया जायेगा।

८ मण्डल अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष, एक मन्त्री व एक कोषाध्यक्ष चुनेगा, और ये अधिकारी तीन साल तक अपन पद पर रहेंगे। ये फिर से चुने जा सकेंगे। तथापि मन्त्री व कोषाध्यक्ष का पद एक ही व्यक्ति को दिया जा सकेगा।

९ संघ की या उसकी शाखाओं की या उनके अधिकार को वर्तमान या भावी सारी धन-सम्पत्ति मण्डल की मालिकी की रहेगी। मण्डल उसे मच की तरफ से या सप-के लिये अपने अधिकार में रखेगा और संघ के पूर्वोक्त उद्देश्या की पूर्ति में उसकी लगावेगा, तथा



या सहयोगी या सदस्य संघ के घन या आमदनी से अपने दूरगो या सहयोगी या सदस्य होने के दावे काही फायदा या अधिक लाभ नहीं उठा सकेगा।

१०. मण्डल, सच के सब काम, कारोबार और प्रगतिपूर्ण चलावना और विशेष कर नीचे लिखी काम करना —

- (ख) कच लेना, खरा करना, हवापर सम्पत्ति रखना, सच की घन सम्पत्ति आपदा पर या अन्य तरह से लाना ;
- (आ) कर्म, दान या सहायना के तौर पर सचो सदस्यों को अधिक या दूसरी तरह की हमदाद देना ;
- (इ) हाथ फताइ और हाथ-कनी य हाथ बुनी खादी की उत्पत्ति व बिक्री तथा तासबन्धी दूसरी प्राकृतिक विमाने वाली या उनके प्रयोग करने वाली संस्थाओं व विद्यालय खोलना या उन्हें सहायता देना,
- (ई) खादी भंडार खोलना या उन्हें सहायता देना;
- (उ) खादी कारखानों का संचालन करना;
- (ऊ) जमीन आपदाद पट्टा, रहन, चार्ज, दान अथवा बिक्री से सम्पादन करना या अलग करना,
- (ए) सच की तरफ से मुकदमे अथवा अन्य कार्रवाई करना तथा सच पर मुकदमे तथा अन्य कार्रवाई की गाय तो उनकी गवाबदेही करना,
- (ऐ) किसी उपयोजित या दफ्तियों को अपना कोई अधिकार देना,
- (ओ) दोषों-सागड़ों को पंचद्वारा निपटाना ,
- (औ) आमतौर पर सच के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये मण्डल जो बाँटें करना धनसंग्रह या जरूरी समझे थे सच करना।

११ (अ) मृत्यु इस्तीफे या दूसरे किसी कारण से मण्डल में जगह खाली होने पर उसकी पूर्ति मण्डल के उपस्थित सदस्यों के ३ बहुमत से की जायेगी।

(आ) आजीवन सदस्य की जगह नियुक्त व्यक्ति जीवन भर के लिये सदस्य बनगा किन्तु सालाना सदस्य की जगह नियुक्त सदस्य उतनी ही मियाद तक के लिये सदस्य रहेगा जितनी कि पिछले सदस्य की बाकी रही हो।

(ई) जब तक कि आजीवन सदस्यों की संख्या ७ से कम न हो गई हो, मण्डल को कोई कार्यवाही मण्डल में एक या अधिक स्थान रिक्त होने की वजह से नाजायज नहीं समझी जायेगी।

मण्डल को इरिक्तियार होगा कि वह उस प्रयोजन से छुआई गई समा में अपने सदस्यों में सच के किसी भी सदस्य को बिना कोई कारण बताये सच से अलग कर दे।

मण्डल की समारोह, सच के अध्यक्ष क या उनकी गैरहाजिरी में उस समा में उपस्थित उस मौके पर बुने गये किसी सदस्य के, समापतित्व में होंगी।

मण्डल की समारोहों में तमाम निर्णय बहुमत से होंगे। किसी विषय पर समान मत पक्ष अपना अधिक मत दे सकेंगे।

मण्डल की समा के लिये कोरम ५ सदस्यों का रहेगा।

(अ) मण्डल का काम होगा कि वह सच का सारा हिसाब त्रिताय नियमित रखवाये।

(आ) यह हिसाब मण्डल के द्वारा नियुक्त ऑडिटर स प्रतिवर्ष के अन्त में ऑडिट कराया जायेगा और ऐसे ऑडिट विये हुए हिसाब का निवरण प्रकाशित किया जायेगा।

० मण्डल सच के दो प्रकार के सहयोगी बनायेगा —

(अ) साधारण सहयोगी, व (आ) आजीवन सहयोगी।

c (१) जो व्यक्ति (अ) १५ साल से ऊपर की उम्र का हो,

(आ) आदतन शादी पहनता व इस्तेमाल करता हो,

(ई) अपना कता व समान बट वाला मासिक १००० गज एत या १२ क बापित चंदा संघ को दे, वह सच का साधारण सहयोगी बनाया जा सकेगा।

(२) हर एक साधारण सहयोगी का कर्तव्य होगा कि वह दाय-कतौई और प्रचार करता

रा. ११

१९ जिस व्यक्ति का उम्र १८ साल से उपर हो, जो आदतन शादी पहनता और रखता हो और जो ५०० रु एक मूल्य सध की द वृद्ध मय या आजीवन सदस्या बनाना जा सध्या।

२० साधारण सन्धोगी अपा खद वा पुन या रूपया, ६ माग तर्क १ देने पर सधे न रहगा।

२१ सब पर या सध की तरफ न जा कुड मामल सुकदमे चलैग या, चलाय जायैग उन्ने सानुनो कारेवा सध न तरफागेत मया या दूसर पाइ अलि जिहँ सध उमक लिने अधिहार दे सध की तरफ स चरैग।

२२ मण्डल की अधिहार होगा त वह सध की शाखायें शोक और हर एय शाखा के जिने पूरु शाखा मनो-पुनर करे जा कि मण्डल के नियन्त्रण में और मण्डल के आदेशानुसार काम कर।

२३ सध क मन्त्री की लेखी इजाजत से—

(अ) सध की शाखा का मन्त्री बिग्या मरु में या राष्ट्रवार क पुन शाखा का शाखा सध मरेगा और सध के पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्त क लिय उस चला सकगा।

(आ) शाखा मनो जो अपनी शाखा की तरफ से चरों पर सही करने तथा शाखा व प्राय चिकों, बिलों, नोटों तथा चलन क अन्य दृण्टीपुनों पर हरताक्षर (endorse) करने का अधिहार होगा। किन्तु किसी शाखा-मन्त्री को सध की तरफ से सध के अथवा कान्नी किसी शाखा क लिख कर्ने लने का कोई अधिहार न हो।

२४ मण्डल को अधिहार होगा कि वह सध के विधान व नियमों में इस काम के वि विशेष समा बुलानर सध के उे सदस्यों के बहुमत से सशोधन व रदाबदल कर सके यशर्त कि सशोधन या रदाबदल सध क ऊपर लिख उद्देश्यों के आन्तरिक हेतु के सिन्द न हो।

२५ सध या मण्डल के सन्धुचित कार्य सचालन के लिय समय समय पर नियम उपनियम बनाने का अधिहार मण्डल की हागा।

### सध की निधि

अधिकत भारत शादी मण्डल तथा उनको प्रान्तीय शाखाओं से सारी, रई, सत जात्रि के स्टॉक, जायन्त तथा दूसरा स बण्डल होनवाली रकमों क रूप में सध की प्राप्त हुई निधि रु ११,९३,३०० १०० की थी। सन १९२६ से १९२९ तक बीच बीच में सान्नी कार्य को सहायता देन क लिय पूय गांधीजी न दौरा किया और दशबुदास के स्मारक के रूप में ऊल रु १५,११,६१९ की रकम एकत्रित होकर

सच को प्राप्त हुई। इसके बाद भी सच को सादी वाम के लिये दान मिलता रहा। प्रारम्भ के करीब दस वर्षों में सच का काम जमाने के लिये कुल मिलाकर करीब १२ लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी। अब सन् १९४२ में सच के वाम करीब २८ लाख रुपये का बोध है जो सच का सब क्रम में लगा है।

### सच का संगठन

सच सादी उत्पत्ति और बिक्री का काम अपनी शाखाओं द्वारा करता है तथा उस काम के लिये स्वानगी व्यक्तियों को और सत्याओं को प्रमाण-पत्र भी देता है। प्रमाण-पत्र के नियम अत्यन्त छपे हैं।

**केन्द्रीय कार्यालय** — सच की स्थापना के समय उसका केन्द्रीय कार्यालय अहमदाबाद में था। अखिल मारन सादी मण्डल की स्थापना के समय से ही श्री चक्ररत्नल बेरर मण्डल के तथा सच के सन् १९४० ई० तक मंत्री रह। लगातार अधिष्ठ पश्चिम करके सादी कार्य को उन्होंने जमाया और बढ़ाया। अन्त में स्वास्थ्य अत्यन्त बिगड़ जाने पर जून १९४० में उन्हें कार्य से निवृत्त होना पड़ा, तब से सच का केन्द्रीय कार्यालय, बजाजवाडी, बर्धा, में है।

**हिसाब समिति** — हिसाब सुव्यवस्थित रखने के लिये सन् १९४१ के दिसम्बर महीने में हिसाब समिति बनाई गई। वह अपने मुख्य हिमाबनीम तथा अन्य ऑडिटिंगों के द्वारा शाखाओं के हिसाब का ट्रेस-आडिट करावेगी। प्रथमतः संपूर्ण हिसाब जीवन की व्यवस्था शाखा की ही अपने कार्यकर्ताओं द्वारा करनी होगी। समिति के ऑडिटिंगों को वार्षिक विवरण के अन्तर्गत त्रमासिक विवरण, तथा समय २ पर अय विवरण भी भेजने होंगे।

प्रांतीय शाखाओं को हिसाब की अनेक बहियों, रजिस्ट्रों और फार्मों का उपयोग करना पड़ता है। उनके नमूने माग ३ में दिये गये हैं। विशेष परिस्थिति के कारण इन नमूनों में कुछ कमीवर्षी करनी पड़ ता शाखाएँ हिसाब समिति की सलाह से कर सकेंगी। परन्तु सामान्यतः इन्हीं नमूनों के अनुसार बहियाँ तथा रजिस्ट्र रखने चाहियें।

**निरीक्षण** — केन्द्रीय कार्यालय शाखाओं के कार्य का निरीक्षण अपने निरीक्षकों द्वारा करावगा। इन्हें निम्नलिखित विवरण केन्द्रीय कार्यालय को भेजने होंगे—(१) प्रत्येक कार्य निरीक्षण का विवरण (२) अनेक कार्य निरीक्षण का वार्षिक विवरण। शाखाओं के मंत्रियों को मा वार्षिक विवरण भेजना होता। विशेष विषयों की सूची भाग ३ में दी गई है।

**बजट समिति** — न्याय वर सुब होने के पहिल ही केन्द्रीय कार्यालय तथा शाखाओं के बजट सभ की समा में उपस्थित रिये जात है। उनके मजूर होन पर उनके अनुसार सारा काम बिभाजित है। सभ न एक बजट समिति में बनाई है। सभ उस जहाँ तक अधिवास देता ह उन मयादा तक बजट-समिति बजट आदि के बिन्दुओं में निर्णय करती ह। फिन्हाल बजट समिति की नीचे छिन अधिकार दिय गये है —

- १ सभ प्रकार क केन्द्राय कार्यालय क और प्रांतीय शाखाओं के बजट मजूर करना।
- २ नय मकानाल बांधा के लिय मजूरा दना।
- ३ सबत उधारी बजट साल मौजून की मजूरी दना।

'बजट समिति' अत्र स्थायी स्वरूप की बन गई ह। कसो कसो शाखाओं की शोग का निर्णय तुरत ही करना पडना है, जिसमें सब सदस्यों की इच्छा देखर समा बुजान क लिए पूरा समय भी नही मिलता है।

इन सब बातों का विचार करके निश्चय हुआ कि समिति की समा वर्गमें मे कम से कम चार चार इस तरह बुलाई जाय कि उसके सब सदस्यों को समा के समय पहुचन का मौका मिल सके। परन्तु मंत्री का राय में जिन प्रश्न का निर्णय तुरत करना आवश्यक हो उनका निर्णय केवल वर्षों में रहने वाले सदस्यों की समा बुलाकर कर लिया जाया करे।

विचार हुआ कि बजट समिति की समा नियमित रूप स जून और दिसबर के महिनों में जब कि सभ के टूटो भङ्गल की समा होती है तब तथा मार्च एवं सितबर महिन के मध्य में की जाय। शाखाओं की बुचना दी जाती है कि उन्हें बजट-समिति क विचारार्थ जो विषय मेजने हों व इन समयों का ख्याल करके ही मजरा करें। आय समय म जयै हुए प्रस्तावों का निर्णय जल्दी करना सुविधल होगी। अत्यन्त जरूरी प्रश्नों का निर्णय वर्षों में रहन वाले सदस्य कर लेंग, तथापि यथासम्भव यह बात टालनी चाहिए।

**शिक्षा समिति** — सादी विद्या की पढाई ठीक सिलसिले स करने के लिये निम्न पाठ्य-क्रम के विद्यालय चलाना, और पढन वाले विद्यार्थियों की परिक्षा लेकर उनको सभ द्वारा प्रमत्त पत्र दना आदि सब काम व्यवस्थित करन के लिय एक शिक्षा-समिति अक्टूबर १९४१ में बनाई है और उसने निम्न अधिकार दिये गये है —

- १ - स्नादी शिक्षा का अभ्यास कम मुझरर करना
- २ - स्नादी विद्यालयों के नियम बनाना ।
- ३ - स्नादी विद्यालयों की प्रमाण-पत्र देना ।
- ४ - स्नादी विद्यालयों की देखभाल करना ।
- ५ - परीक्षाओं के उत्तीर्णमान निश्चित करना ।
- ६ - परीक्षाओं के नियम बनाना ।
- ७ - परीक्षण नियुक्त करना ।
- ८ - परीक्षाएँ लेना ।
- ९ - उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देना ।

शिक्षा-समिति द्वारा संचालित भिन्न २ परीक्षाओं के प्रकार, परीक्षा की पद्धति, अभ्यासक्रम\* विद्यालय भाग्य बनाने के नियम, छात्रों को दाखिल करने के नियम और शर्तें, छात्रालयों का प्रबंध आदि विषयों की जानकारी 'स्नादी जगत्' के फर्यरी १९४२ के 'स्नादी शिक्षाङ्क' नामक अंक में दी गई है। विद्यालयों के संचालक उससे बारीकी से पढकर उसमें लिखे अनुसार प्रबंध करें।

के द्रीय कार्यालय की देखभाल में शिक्षा-समिति ने अपना मुख्य स्नादी विद्यालय १ अगस्त १९४१ से सेवाग्राम में जारी किया है। जिसका अभ्यास क्रम तथा नियम आदि 'स्नादी जगत्' के शिक्षा अंक में दिये गये हैं।

**प्रांतीय शाखाएँ** —बहा सच के कुल काम का नियंत्रण सच के 'ट्रस्टी मंडल' द्वारा होता है। प्रांतीय शाखाएँ प्रायः वार्षिक के द्वारा संचालित प्रांतों के अनुसार स्थापित हुई हैं, परन्तु किसी किसी प्रांत में स्वतंत्र शाखा स्थापित करने की अनुमति न होने के कारण एक ही शाखा का कार्य क्षेत्र २ या ३ प्रांतों में भी नियत किया गया है। सच की स्थापना के समय सच की १२ प्रांतीय शाखाएँ थीं। जैसे जैसे कार्य बढ़ता गया, गुजरात, काश्मीर, केरल, तथा सिंध में नई शाखाएँ स्थापित हुईं। आठम की अलग शाखा सन् १९४० ई० में ही स्थापित हुई है। सन् १९४१ के अंत में सच की निम्नलिखित प्रांतीय शाखाएँ थीं।

\* नोट — इसके बाद भी पाठ्यक्रम आदि में कुछ परिवर्तन हुये हैं। देखिये 'स्नादी जगत्' का अंक १९४२ का अंक।

शाखा का नाम	स्थापना का वर्ष	प्रान्तीय कार्यालय	कार्यक्षेत्र
१ आन्ध्र	१९२५	महलीपट्टम	आन्ध्र
२ असम	१९४१	बिबनगर	आसाम
३ उत्तरकल	१९२५	बग-कटक	उत्तरकल
४ बर्माटम	१९२१	ओ-हुबली (घारवाट)	बर्माटम
५ काश्मीर	१९३५	धौनगर (काश्मीर)	काश्मीर
६ केरल	१९५	एरहानीपालेम (कालोन्ग)	केरल
७ गुजरात	१९४०	बारडोली (सूरत)	गुजरात
८ तामिलनाडु	१९२५	तिरुपुर (कोयम्बटूर)	तामिलनाडु
९ पंजाब	१९२५	आदमपुर दीआवा (जालंधर)	पंजाब + पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश
१० बंगाल	१९०५	कोमिष्टा (तिपेरा)	बंगाल
११ बंबई	१९२१	३९६, कालवादेवा रोड, बंबई	बंबई
१२ ब्रम्हदेश	१९२५	बद हे	ब्रम्हदेश
१३ बिहार	१९२५	मधुबनी (दरभंगा)	बिहार
१४ मध्यप्रान्त-महाराष्ट्र	१९२५	मूल (चाँदा)	मध्यप्रान्त, महाराष्ट्र, बगर व निजाम
१५ राजस्थान	१९२५	श्रीविदगढ़-मलिकपुर (जयपुर)	राजस्थान व मध्यप्रान्त
१६ समुद्रप्रान्त	१९२१	मेरठ	समुद्रप्रान्त व देहली
१७ सिन्धु	१९३५	टण्डो आदम (हैदराबाद सिंध)	सिन्धु

केन्द्रीय दफ्तर के कार्य — सच का केन्द्रीय दफ्तर टूरिंगे मंडल के आदेशों के अनुसार शाखाओं के कार्य का नियन्त्रण करता है। प्रतिवर्ष सामान्यों के वार्षिक कार्य तथा आय-व्यय की योजनाएँ (बजट) भगवावर उनका अध्ययन करने उनमें सब व्यवहार द्वारा आवश्यक सुधार करवाकर उन्हें सच की बजट समिति के सामने भूरी व लिये रखता है और भूरी होन पर शाखाओं को सूचना देता है और शाखाएँ अपना करीबार मंजूर हुआ योजनाओं के अनुसार चलाती है।

इसके उपरान्त केन्द्रीय कार्यालय निरीक्षकों के द्वारा समय समय पर शाखाओं के कार्य तथा हिसाब किताब का निरीक्षण कराता है और वास्तविक कार्य तथा आय व्यय की बजट के अर्थों से तुलना करके शाखाओं का ध्यान घण्टी बढती की ओर आकर्षित करता है। मजूर गुदा घत्रट के उपरान्त वर्ष के दौरान में नये केन्द्र चलाने या नये खर्च करने के लिये शाखाओं को नये विरे से प्रधान कार्यालय की स्वीकृति ले लेनी होती है। अत्यंत आवश्यकता के समय सच की मजूरी की आशा में सच के मंत्री को तात्कालिक मजूरी देने का अधिकार रहता है।

बजटों तथा कार्य सम्बन्धी अन्य योजनाओं क उपरान्त खादी के माव घग्ने-बढाने, मजदूरी की दरों में तन्दीली करने, जमीन खरीदने या रहन, चार्ज पट्टे पर लेन, मरामात बनाने-भेचने, हूबी हुई उधारी की रकमां को बढूटे खाने लिखने आदि अनर भमाधारण नियमों में शाखाओं को सच की इजाजत से ही काम करना होना है। प्रांतीय शाखाओं के लिये निस्तुत सूचनाएँ आगे दी गई है।

सच के कोष का एकत्रित हिसाब प्रधान कार्यालय में रखा जाता है। सच के नाम का सारा व्ययहार केन्द्रीय दफ्तर के माफत होता है। सच की समाओं का आयोजन सच का मंत्री किया करता है।

**प्रान्तीय शाखाओं का समठन** —परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार प्रांतीय शाखाओं क समठन के निम्नलिखित अंग होते ह —

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| (१) प्रतिनिधि (एजेण्ट)        | (२) शाखा मंत्री, सहायक मंत्री व प्रांतीय कार्यालय |
| (३) उत्पत्ति केन्द्र          | (४) बिक्री भण्डार                                 |
| (५) केन्द्रीय भण्डार          | (६) रगशाला  |
| (७) सरजाम कार्यालय            | (८) सादी विद्यालय                                 |
| (९) बस्त्रस्वावलम्बन व प्रचार |   |

१ **प्रतिनिधि** —प्रतिनिधियों की नियुक्ति सच की समा द्वारा का जाती है। सभी शाखाओं में प्रतिनिधि नहीं है। जहां वे है वहां शाखा क घग्ने-बढाने काम, और सचालन की अन्तिम जबाबदेही उन पर होनी है। प्रतिनिधि का स्वाय कार्यकर्त्ता सरजामों क अभ्यस की तरफ का है। काम मंत्रियों द्वारा किया जाना है। जिन शाखाओं में प्रतिनिधि नहीं है वहां प्रतिनिधि की जगह शाखामंत्री पर ही समझी जाती है।



२. शाखा-मंत्री, सहायक मंत्री व प्रांतीय कार्यालय — शाखा मंत्री की नियुक्ति सचिव का सलाह द्वारा होती है। प्रतिशाखा द्वारा नियुक्ति की दृष्टि में अनुसार सचिवमंडल के कार्य-संचालन का भार शाखा मंत्रा पर होता है। शाखा के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, बढती व घटाहटनी, छुट्टी या भ्रमर भोजने का काम करना, बढा बगल, कार्यकर्ताओं का बढा व घटाहटनी का प्रस्ताव तयार करना, प्रचारार्थि का याजन बनाने, नई जमीन खरीदना या गहरा बनाने, बैंक में धाने खोलना और व्यवहार करना आदि काम शाखा-मंत्री या प्रतिनिधि की सम्मति से (यदि हो ता) सचिव के अतिरिक्त नियंत्रण में करता है।

शाखा के सचिवमंडल व कार्य में शाखा मंत्रा नियंत्रण किया करता है। प्रांतीय शाखा के सचिवमंडल की नियुक्ति करना हा तो बढा तसों सचिव की मर्यादा में ही जा सकती है।

कार्य के विस्तार के अनुसार शाखा मंत्री की सहायता के लिये प्रांतीय कार्यालय में निम्नलिखित पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं —

(क) सहायक मंत्री

(ख) कार्यालय व्यवस्थापक

(ग) उत्पत्ति सचालक

(घ) विनी सचालक

(क) सहायक मंत्री — कार्य की अधिकता के कारण यदि सहायक मंत्री की नियुक्ति आवश्यक समझी जाय तो उसकी नियुक्ति सचिव के मंत्री द्वारा की जाती है। सहायक मंत्री, शाखा मंत्री की उपस्थिति में उसके कार्य में सहायता करता है, तथा उसकी अनुपस्थिति में शाखा मंत्री का काम करता है।

(ख) कार्यालय व्यवस्थापक (ग) उत्पत्ति सचालक व (घ) विनी सचालक — शाखा प्रतिनिधि की सलाह से (यदि हो तो) शाखा मंत्रा द्वारा प्रांतीय कार्यालय के कार्य सचालन और व्यवस्था के लिये एक व्यवस्थापक की तथा उत्पत्ति विनी कार्य के संगठन के लिये कमसे एक उत्पत्ति सचालक और एक विनी सचालक की नियुक्ति की जाती है। इन अधिकारियों की सहायता से मंत्री नाचे लिख काम करा लेता है —

(क) कार्यालय व्यवस्थापक —

१. बिना व वाउचर आदि स्वीकृत करना

२. कार्यकर्ताओं की ऊँचा मजूर करना

३. हिसाब पर देखरेख करना इत्यादि

## (घ) उत्पत्ति संचालक :—

१. सादी उत्पत्ति का जातिवार परिमाण नियत करना तथा उसके अनुसार उत्पत्ति कराना
२. जातियों में एषार करना व नई जातियाँ निरालना
३. सूत खरीद या कताई, बुनाई आदि प्रक्रियाओं को मजदूरी नियत दरों के अनुसार होती है या नहीं यह देखते रहना,
४. नये उत्पत्ति केन्द्र खोलने और उत्पत्ति बन्दान में शाखा मंत्री की सहायता करना

## (ग) बिक्री संचालक :—

१. बिक्री मण्डलों तथा ब्यगारा की रचना, खान, यंत्रणा, बिक्री आदि देखते रहना व लिये उनका निरीक्षण करता रहना,
२. बिक्री बन्दाने की गरज से नये मण्डार खोलने, एजेण्ट बनाने, गाँधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह और अन्य प्रदक्षिणियों के समय बिक्री का संगठन करने, फूरी की व्यवस्था करने आदि कामों में शाखा मंत्री की सहायता देना,
३. मण्डारों की आवश्यकता का अध्ययन करके, सादी की विविध जातियों की यथा समय शाखा में उत्पत्ति कराने की सूचना देना या उन्हें केन्द्र मण्डार द्वारा पर प्रान्तों से मगाना।

इनके अतिरिक्त प्रांतीय कार्यालय में हिमाशनवोम, व कार्य के विस्तार के अनुसार अन्य लखरू र हिसाब निरीक्षण होंगे। हिसाबी काम का पूरा निवरण तथा हिसाब निरीक्षकों के कार्य के विषय में कम मांग तीन में लिखा गया है।

## भाषा

बर्खासप की नाति यह है कि अपन सभ कारोबार में यथासभव राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी। उपयोग किया जाय। प्रांतीय शाखा का काम प्रांतीय लिपि में हो। अग्रजी का उपयोग यथासभव। से कम हो।

## प्रांतीय शाखाओं को सूचनाएं

**बजट (आयव्यय अनुमान पत्रक) —** प्रत्येक शाखा को चाहिये कि प्रति वर्ष अप्रैल मास के अंत तक अपनी शाखा के आगामी वर्ष के कार्य और आय व्यय की योजना ( बजट ) नियत फॉर्मों पर ( देखिए मास तीन ) केन्द्रीय कार्यालय को भेज दें। सच के कार्य व हिमाचल का वर्ष १ जुलाई से ३० जून तक है। फार्मों के उपरान्त बजट में निम्नलिखित हकीकत और होनी चाहिये —

१ प्रत्येक उत्पत्ति केन्द्र, बिक्री मंडार, केन्द्र मंडार, रंगजाग, प्रांतीय कार्यालय, सरनाम कार्यालय, वस्त्रखानाबलवन प्रचार, छादी विद्यालय आदि के लिये पूँजी, कार्य, आय तथा व्यय के चारू वर्ष के नौ महीनों के व रतविक धात्र और आगामी वर्ष के प्रस्तावित अत्र ( दन्विये फॉर्म—परिशिष्ट )।

२ ' कामगार सदा वाय ' में से रकम स्वर्च करके कामगारों को तालीम देने की, उनको तालीम देने वाले कार्यकर्त्ता तयार करने की तथा इस कोष में स करने योग्य-अय कार्यों की योजनायें मुख्य बजट के साथ ही आनी चाहियें। कामगारों से तथा उनको तालीम देने वाले कार्यकर्त्ताओं की शिक्षाने की याजना में चारू वर्ष के नौ मास के अंत में तालीम प्राप्त याने सच द्वारा नियत क्रिसी परीक्षा की सनद पाये हुये कार्यकर्त्ताओं की, तथा मिसलाई हुई कृत्तियों की वास्तविक सरया और आगामी वर्ष के लिये आनुमानिक अत्र भी दिये जाने चाहियें।

३ वस्त्रखानाबलवन सम्बन्धी कोई कार्य करन की योजना रसी गई हो तो उसकी चारू वर्ष के नौ मास के अन्तमें वास्तविक सरया तथा आगामी वर्ष के लिय आनुमानिक अत्र भी दिये जाने चाहियें।

बजट बनान समय शाखा यह ध्यान में रये कि नय सून कद्र एमे ही स्थानों में खालने का प्रस्ताव किया जाय जहां कि कृत्तियों को काम न मिलने कारण मूला या अधभूखा रहना पण्टा हो और उन्हें कटाई की मजदूरी सच द्वारा नियत दरा पर ही दी जाय, जहां रूई मिलने की सुविधा हो, माल रवाना करने के लिये पाम में कोई रेन्वे स्थान या अय सुविधा हा, तथा जहां पाम में ही पुनाई व कपडे धाने का प्रबंध हो सके।

जहां सून वातन की कुठ परंपरा कायम हो वहां काम बहुत ज दी व सघटा है। यदि सबकी नये भिरे से ही कानना मिसाना हो ती मान लना चाहिये कि कार्य में बहुत समय लगेगा। कठिनाई होगी, और हानि भी काफी होगी। यह नहीं समझना चाहिये कि ऐसे स्थान में केन्द्र खोलने ही नहीं है। मगर अपनी मयाग मन्गी प्रचार समझतर हमें चलना चाहिये। नये उत्पत्ति केन्द्रों में अच्छे कुशल कार्यकर्त्ता रखन चाहिये। प्र रम्म स ही काम व्यपदिशत किया जानेगा तो जागे बहुत समीता रहेगा। यदि कलन पद्धति से काम प्रारम्भ किया गया तो बाद में कामगारों के रचे में परिवर्तन करना बडा कठिन होगा।

आमतौर पर शासकों ऐसे ही मण्डारों को चलाने या खोलने का प्रस्ताव करें जो यथा-समय स्वावलम्बी हों तथा शाखाएँ अपने बजट इस प्रकार बनावें जिससे उनके प्रांतीय कार्यालय का व्यय केंद्रों मण्डारों के मुनाफ़े में से निराला आवे। आम तौर पर मण्डारों के सम्बन्ध में कार्य, धन आदि का अनुमान लगात समय वार्षिक बिक्री की मान मर्यादा ₹० १२०००) माननी चाहिये याने कम से कम उनकी बिक्री के मण्डार ही चलाने चाहियें। यह भी खयाल रखना चाहिये कि हर एक जिले में एक मण्डार या एजेंसी जरूर हो जाय। ध्यान में रहे कि नये उत्पाति केंद्रों के स्वावलम्बी बनने में २-३ वर्ष लग सकते हैं। उत्पाति केंद्रों में भी काम की मान मर्यादा ₹० १५०००) वार्षिक की ही मानी जाय।

बजट के साथ साथ कार्य-सूची की सम्पूर्ण सूची भय उनके कार्य और वर्तमान तथा प्रस्तावित क्षेत्र के आनी चाहिये।

शासकों अपना कार्य मजूर शुद्धा बजट के अनुसार ही चलावें। यदि वर्ष के दौरान में पूँजी, कार्य, या व्यय में रद्दोबदल की जरूरत खड़ी हो जाय तो पूरक बजट या सशोधित बजट मेजना चाहिये। जिसके साथ शाखा को प्राप्य वर्तमान पूँजी तथा नगदी की अधिक से अधिक ताजी स्थिति की तालिका जरूर दी जाय। अधिक पूँजी मांगते समय तो वर्तमान अधिक स्थिति के अंक जरूर ही दिये जाया करें।

माल की व मजदूरी की दरें — शाखा के माव घटाने बढ़ाने हों या किसी भी प्रविया की मजदूरी की दरों में घटी बढ़ी करने हो तो इसके प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यालय को मेज कर मजदूरी प्राप्त होने पर ही देया गया जाय।

कर्म लेना — शाखाओं को किसी भी रूप में कर्म लेने का अधिकार नहीं है। कहीं कहीं उत्पाति केंद्र वाले या बिक्री मण्डार वाले अपने परिचितों से कर्म ले लेते हैं, कहीं अमानत के रूप में, कहीं उधार माल के रूप में। परन्तु किसी भी रूप में कर्म नहीं लेना चाहिये।

मकान धनधाना — शाखाओं को केन्द्रीय कार्यालय की स्वीकृति के बिना ब्रमीन या मकान खरीदने, या रहन, चार्ज पट्ट पर लेने, नया मकान बनाने, इन्ने हुए उधार की रकमें हानि साते लिखने का अधिकार नहीं है। इन सब क लिये पहिल प्रस्ताव मेजकर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये।

हमारा काम काज अब भी इस दशा में है कि हमें स्थान का परिवर्तन कहां और कब करना पड़ेगा इसका अनुमान करना कठिन है। इसलिये सच की खुद की मालिगी के मझनात पर विचार के बाद ही बनाने चाहियें। ~~कई~~ ऐसा अनुभव आया है कि मझनात बन चुकने

गया कि वह स्थान हमारे काम के लिये उपयुक्त नहीं था। परन्तु चूँकि मकानात बन गये थे इसलिए वही काम चाटू रखना पना जिसके कारण बनें तर हानि महन करनी पडी। ऐसी दशा हुई कि काम का स्थान बदलन है तो मकानान पर्ये जाने है और बडा काम चाटू रखा ह तो अनेक दिखते महन करनी पन्ती है और हानि भी होती है। इसलिये ग्यामम्माव मकानात किराय पर लेकर काम चल्ना चाहिये। अचन आवश्यक हो तमी मन के गुद के मकानात बनाने चाहियें। ये भी बहुत सादे और कम खर्च के काल माल की डिजाइन को दृष्टि से डिजाना महान परा बनाना जरूरी हो उतना ही परा बनाना चाहिये। त्रिय जमीन पर महान बनाना है वह यवामम्म हमारी ही सम्पूर्ण माडिको की होनी चाहिये।

स्वावर जायगद के कागज-पत्र निवलिनित नाम से होने चाहियें —

अखिल भारत चर्चा सच सन् १८६० ई० के कानून २१ क अनुसार रजिस्टर कराई हुई संस्था तर्के सपका मंत्री श्रीकृष्णादास लाजु, केन्द्रीय कार्यालय, अखिल भारत चर्चा सच, बर्चा (मध्यप्रान्त)।

**कार्यकर्ताओं का वेतन** — कार्यकर्ताओं के वेतन के बारे में सब न कोई निश्चित नियम नहीं बनाये हैं। शाखायें अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार वेतन नियत करती हैं तथा उनमें वृद्धि करती हैं। इतना परिमाण कुछ तो प्रात से आर्थिक दशा पर भी अवलम्बित रहता है। वेतन के निर्णय करने का अधिकार सब के नियंत्रण में शाखा के मंत्री को है। मंत्री को चाहिये कि यद्यपि आखिरा राय उसकी चलेगी तथापि अपने मुख्य कार्यकर्ताओं को सगाह और विशेषतया कार्यकर्ता न जिसके मातहत काम किया है उसकी सगाह तो अवश्य लें। वेतन में परिवर्तन करने का प्रश्न मालम्मा में बार बार नहीं उठता रहना चाहिये। सालभर में एकबार सब कार्यकर्ताओं के बारे में सम्पूर्ण विचार करके वेतन निश्चित कर लेना चाहिये। यह भी न होना चाहिये कि कार्यकर्ता की ओर से मांग हानपर ही उमरा वेतन बढ़ाया जावे। मुख्य अधिकारी का दक्षय्य है कि सब के काम बाज के बारे में जानकारी प्राप्त करके, स्वयं भी जितना सम्पर्क कार्यकर्ता से बडा मके उतना बनाकर ग्यमी योग्यता के स्थाल से और शाखा के वेतन के परिमाण के स्थाल से यदि बचाना जरूरी लग तो कार्यकर्ताओं का वेतन स्वयं ही बडा देवे। कहीं कहीं एसी भी सुचनायें की जाती हैं कि कार्यकर्ताओं के वेतन कुछ टाइम-स्कूल के अनुसार रहें। इसके बारे में विचार करके सब में निर्णय किया है कि वह पद्धति हमारा अनुकूल नहीं है। कुछ शाखाओं न प्रयोग भी करके देखा, परन्तु अत न वह पद्धति अनुपयुक्त पाई गई। सब के अननिक कार्यकर्ताओं को अपना पूरा समय सब के काम में ही देना चाहिये, अत के कोई दूसरा आमदनी का काम नहीं कर सकत।

शाखा प्रांतीय कार्यालय में एक कार्यकर्ता रजिस्टर रखेगी, जिसमें शाखा के प्रत्येक कार्यकर्ता का नाम, योग्यता, दाखिल होने की तारीख, प्रारम्भिक वेतन, तारीखों के साथ वेतन वृद्धि, समय २ पर किया गया कार्य, तथा सेवा संबंधी विशेष बातें लिखी जाया करें।

नये कार्यकर्ताओं को रखने व पहिले नियत फॉर्म पर उनके आवेदन पत्र प्राप्त करने चाहिये, और उनकी उम्मेदकारी का काल पूरा होनेपर जब व स्थायी तौर पर लिये जावें, तब उन्हें शाखा की ओर से नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिये। यदि किसी को रु ३०) से अधिक वेतन पर रखना हो, या किसी का वेतन रु ३०) से अधिक बढ़ाना हो तो उसके लिये केन्द्रीय कार्यालय से पहिले इजाजत लेनी चाहिये।

**मगन सभ्रहालय धर्मा** — शाखाएँ प्रत्येक वर्ष क अंत में अपने सर्वे से मगन सभ्रहालय, धर्मा में रखे जाने के लिये मत वर्ष के दौरान में उत्पन्न खादों की नई जात व डिजाइनों के नमून तथा बर्तों की सुधरो हुई जाति के नमूने, बीज आदि, और सुधर हुये औजारों के नमूने भेजा करें।

## कार्य-वृद्धि की विशेष सूचनाएँ

खादी कार्य के बढ़ने तथा सुधरने के लिए अधिक पूंजी, अधिक तादाद में योग्य कार्यकर्ता, अच्छी सुनियंता तथा सुनाई की अधिक सुविधाएँ आवश्यक होने के कारण निम्न प्रबंध करना सोचा गया —

१ अधिक पूंजी की दृष्टि से निम्न लिखित उपाय सोचे गये —

(अ) चंदा फरना — व्यक्तिगत अपील द्वारा तथा चर्चा जयंती के अवसर पर रकम या सूत के रूप में।

(आ) कर्ज लेना — चर्चा सभ कर्ज लेना उपयुक्त नहीं समझता। कर्ज ली हुई रकम से बढाये हुए काम को चंगे बिना हम कर्ज अदा नहीं कर सकते। इस प्रकार यदि हम काम घटाना पड़े तो खादा उत्पत्ति घट जाती है, प्रगति रुक जाती है, जिस इतना ही नहीं बरन उसे फिर स बनाने में कई दिक्कत आ खड़ी होती है। कामगारों में गलतफहमी फैलती है तथा हमारी सारी व्यक्त अस्त हो जाती है। इस सब दिक्कत का मद् नजर रखावर

कर्ज न लेने की सामान्य नीति कायम रखत हुए भी इस बार अपवाद रूप में सहूलियत दी है कि यदि बिना ब्याज के और लम्बो मुदत पर कर्ज लिये लें वह कुछ परिमाण में लिया जाये। मुदत की व्याख्या सभ ने निर्धारित नहीं की है। पर हमारे ब्याज से इसी शर्त ठोक होगी कि हर साल या तो कर्ज को ५ प्रतिशत रकम लौगाकर सारा कर्ज २० साल में या पहले ५ वर्षों में कुछ भी न देपर बाद में हर साल १० प्रतिशत के हिसाब से; अर्थात् २५ साल में पूरी रकम बिना ब्याज अदा की जावे। छोटी छोटी रकमें लेने के हिसाब में पटना उचित न होगा। कोई एक रकम रुपये १०,००० से कम न ली जाय तो ठीक हो। यदि कोई खादी प्रमो सञ्जन इस प्रकार सभ की रकम की सहायता करना चाहे तो खास्ताएँ केंद्रीय कार्यालय को इसकी सूचना दें। खास्ताओं को इस प्रकार के सौध कर्ज लेन का अधिकार नहीं है।

(१) बर्दे के समूह को गिरवी रखकर बैंकों या साहूकारों से केंद्रीय कार्यालय की अनुमति से कर्ज लेना।

(२) कामगारों से पूंजी के लिए थोड़ी थोड़ी रकम जमा करना (इस विषय में विस्तार से अन्यत्र लिखा गया है)।

२ अधिक तादाद में योग्य कार्यकर्ता प्राप्त करने के हेतु से खादी विद्यालय तथा त्रिविध चलाकर उनके मार्फत योग्य कार्यकर्ता अधिप सभ्या में तैयार करना साधा गया।

३ बर्दे यथा सम्भव ऐसी कपास की ली जाय जो 'दूसरी घुनाई' की हो तथा जिसमें कृष्ण करक पूर्व सडा अश न हो। जो बर्दे घुना या नवगारी से मगाई जाती है उसका प्रबन्ध भी सलुखलाल पाह द्वारा तथा जो बर्धा से मगाई जाती है उसका प्रबन्ध केंद्रीय दफतर से हो।

४ घुनाई में तुनाई के प्रयोग की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। एक आध छोटा घुनाई-यंत्र बनाने के लिए प्रयत्न किया जाय। यह काम भी लक्ष्मीदासमगाई पुरुषोत्तम आसर का सौपा गया।

५ वर्षों की कलती हुई माग को मदे नजर रखत हुए निश्चय हुआ कि धतुष तञ्जुवे की कलति को जांचने एवं उसकी सिगा का प्रबन्ध करन और उसका अधिक प्रचार करन को काशिश की जाय।

६ खादी उत्पत्ति तथा वध रखावलवन के मार्ग में आने वाली घुनाई की दिक्कतों को दूर करने के खयाल से यह बिचार हुआ कि हमारे कार्यकर्ता घुनाई का काम सीखने की कोशिश करें।

इस हेतु से 'धुनाई कार्यकर्ता' परीक्षा खलाई गई है। इन परीक्षा का विशेष विवरण 'खादी जगत्' के फरवरी १९४२ के 'खादी शिक्षांक' में दिया गया है।

**कार्य वृत्तात** — शाखा की प्रत्येक मास की उत्पत्ति बिक्री की रिपोर्ट नियत पारमों पर केन्द्रीय कार्यालय को आगामी मास के तीसरे हफ्ते के अंत तक अवश्य भेजा दी जाया करे। इसके अतिरिक्त शिक्षा सबकी जो रिपोर्ट बगैरह्द हिसाब समिति द्वारा भगाई जावे सो भी भेजी जाया करे।

नये खुलनेवाले या बंद हो जान वाले केन्द्र या मण्टार का नाम तुरत ही केन्द्रीय कार्यालय को भेजना चाहिये।

प्रत्येक वर्ष के अंत में आगामी वर्ष के अगस्त के अंत तक प्रत्येक शाखा केन्द्रीय कार्यालय को नियत विषयों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट भेजा करे। इन विषयों की तालिका नीचे दी गई है:—

## ऐसे विषयों की सूचि जिनकी जानकारी

वार्षिक रिपोर्ट के लिए आवश्यक होती है।

**नोट** — शाखाओं से निवेदन है कि वे निम्न तीन शीर्षक से तीन कालम में जानकारी दें।

(१) बर्खा सच शाखा (२) प्रमाणित सस्थाए (अगर हां) तथा कुल योग।

(२) ४७, ५० और ५१ की जानकारी सिर्फ शाखा को सारे प्रान्त के लिए अपने दायरे के अंदर की देनी होगी।

१ खादी की कुल उत्पत्ति—मूल्य में, बजन पीसोंमें तथा बर्गमज में।

२ घूत की कुल उत्पत्ति पीण्डों में तथा ८४० गज की शुषिइयों में।

३ उत्पत्ति केन्द्रों में कुल फुटकर बिक्री।

४ कुल पक्की बिछी।

५ फुटकर बिक्री — बत्तियों में, बुनकरों में, धुननेवालों में, ओटनेवालों में, कुन्दीगरों में, घोबियों में, रगरों में, छपाई करन वाला में, दजियों में, हटारों में, बडर्यों में, (प्रत्येक के लिए अलग अलग)



६ प्रदासिनियों द्वारा हुई कुल विक्री (रथम का जोड़ और प्रदर्शनी का मूल्य दें) गयी जयती, राष्ट्रीय-सहाइ, फेरी तथा एनिसियों द्वारा (प्रत्येक की अलग अलग)

७ बनावट-केन्द्रों, बुनाई-केन्द्रों तथा भण्डारों की अलग अलग कुल सख्या विवरण-ताल के आधिर की तथा उनमें विस्तृत ताल क अन्त की।

८ मामों की सख्या जिनमें कार्य हुआ।

९ निम्न विगत क साथ रजिस्टर में दर्ज कस्त्रियों की कुल सख्या —

- (i) केन्द्र (ii) विवरण ताल क विक्रय ताल के अंत में शादी अनामत की रकम (iii) साल भर में खादी खादी क लिए प्राप्त हुई कुल अनामत (मूल्य में) (iv) खादी-खादी (मूल्य में) (v) साल अंत में शय अनामत (मूल्य में) (vi) खुद-कन धन से बनाई गई खादी (वर्गगजों में) (vii) रजिस्टर में दर्ज कस्त्रियों की सख्या (viii) (क) सम्पूर्ण खादीधारियों की सख्या (ख) आंशिक खादीधारियों की सख्या (ix) (ग) हरिजन (घ) मुस्लिम (ङ) हिन्दू, हरिजनों की छोड़कर (च) अय (जातिवार)।

१० निम्न विगत के साथ रजिस्टर में दर्ज बुनकरों की सख्या :—

- (i) सम्पूर्ण खादीधारी (ii) आंशिक खादीधारी (iii) (क) हरिजन (ख) मुस्लिम (ग) हिन्दू, हरिजनों की छोड़कर (घ) अय (जातिवार)।

११ निम्न की कुल सख्या —

ओटने वाले, धुनने वाले, कुम्दीगर, धोबी, रंगरेज, कपार्य करन वाले, दर्जी, छुहार, बढई, आदि, इन सब का निम्न तार धणियों में विभाजन (i) हरिजन (ii) मुस्लिम (iii) हिन्दू, हरिजनों की छोड़कर (iv) तथा अय (अपन लिए खुद ओटने व धुनने वाली कस्त्रियों की सख्या छोड़कर)।

१२ विवरण ताल के अंत में दी जानवाला ओटाई धुनाई व बनावट की दरें तथा बुनाई की मजदूरी। अगर मजदूरी में कोई कृत्रिम हुई हो तो उसकी पिछल साल से तुलनात्मक जानकारी।

नोट —(१) घुनाई की मजदूरी घूनी बनान सहित निम्नप्रकार से बताई जाय —

(क) खुद घुननेवालों को दी गई घुनाई मजदूरी की विभिन्न दरें ।

(ख) पेशेवर घुनने वालों को दी गई तथा उनके द्वारा कमाई गई मजदूरी की विभिन्न दरें ।  
पिंजन की किस्म तथा तात की मोटाई एवं उनमें तारों की संख्या जो कि अलग अलग दरों के लिए उपयोग में लाई गई ।

(ग) अगर साबरमती की घुनाई मशीन का उपयोग किया गया हो तो उसकी घुनाई दर ।  
मशीन की कार्य-क्षमता के ऊपर नोट देने हुए ।

(२) विभिन्न सूत केन्द्रों में काफी तादाद में बाने गए विभिन्न अकों के सूत की कटाई मजदूरी ।  
जिसके लिए नियम अथवा बतौर एक सुझाव क दिए जाते हैं ९, १२, १६, २०, २५  
और ३०, तथा दूसरे स्टाग महीन अरु ।

(३) उत्पत्ति केन्द्रों में तैयार किए गए विभिन्न किस्मों के कपडों की घुनाई-दर प्रत्येक किस्म  
के कपड की चौड़ाई, उसमें लगे सूत का धार, उसके तानेबाने के एक वर्गइंच में धागों  
की संख्या तथा प्रत्येक वर्गगज का वजन ।

१३ रजिस्टर में दर्ज कामगारों द्वारा कमाई गई कुल मजदूरी का जातिवार विभाजन —

(i) जोग्ने वाले, (ii) घुननेवाले, (iii) कत्तिने, (iv) गुनजर, (v) धोबी, (vi) कुन्दीगर  
(vii) रगरज, (viii) छपाई करने वाले, (ix) दर्जी, (x) बडई, (xi)  
लुहार वगैरह ।

१४ कत्तिनों का उनकी कमाई के अनुसार विभाजन —

(i) जो सालभर में १ रु० से १२ रुपये तक कमाती है ।

(ii) " " १३ रु० से २४ " " " "

(iii) " " २४ रुपये से ऊपर कमाती है ।

नोट —मजदूरी बताने हुए प्रत्येक कचिन की स्पष्टिगततीर पर अलग मजदूरी बताई जाय मदि एक परिवार की एक साथ त्रिमये २ या अधिक बरसे बलते हों ।

१५ निम्न विगत के माय विवरण-ताल का तथा उसये पिछले साल की बरितियों की तुलनात्मक कमाई,—

(i) केन्द्र, (ii) उत्पन्न एवं की कुल तादाद पौगों में तथा मुंठियों की सख्या (८४० गज की एक गुंठी) (iii) इनके लिये दी गई कुल मजदूरी, (iv) मजदूरी प्रति पौंड ।

१६ कुन्करों का उनकी कमाई के अनुसार विमाजन —

(i) ओ सालार में १ रुपये से २४ रुपये तक कमाते है ।

(ii) " २५ " ४८ " "

(iii) " ४९ रुपये से अधिक कमाते ह ।

नोट —मजदूरी का हिमाब बताने हुए एक कुन्कर के खाने में बलने वाले कई कर्षों पर दी जाने वाली मजदूरी एक ही जगह न बता कर प्रत्येक कर्ष की मजदूरी अलग अलग बताई जाय ।

१७ (क) विवरण-ताल के अत में तथा उसये पिछले साल में काम पर ली कार्यकर्ताओं की सख्या —

(i) कताई केन्द्रों में (अ) कायकर्ता (आ) कर्मचारी

(ii) बुनाई केन्द्रों में " "

(iii) बिनी मद्यारों में " "

(iv) केद्रीय दरवार में (केद्रीय रंगर तथा रंगशाला के कार्यकर्ताओं की विगत अलग से दी जाय) ।

(ख) स्त्री-कार्यकर्ताओं की सख्या तथा उनके कार्य तथा वेतन सम्बन्धी विगत ।

१८ कार्यकर्ताओं का उनकी मिलने वाले वेतन के अनुसार विमाजन —

(i) प्रतिमास २० रुपये से नीचे पाने वाले

(ii) " २० रुपये से ५० के बीच पाने वाले

(iii) " ५० से अधिक पाने वाले

१९ १७ नमर में बताई गई विगत के अनुसार कार्यकर्ताओं को दो गई तदनुवाद ।

२० स्थानीय कपास उत्पादक के बारे की जानकारी । यह बात सिर्फ उन शाखाओं के लिए है जहाँ अमुमन कपास पैदा ही नहीं होती है । वहाँ सघ तथा प्रमाणित सस्थाओं द्वारा इस सम्बन्ध में अगर कोई प्रयत्न किया गया हो तो वह भी लिखा जाय ।

२१ साल भर में कुल कितनी कपास इस्तमाल की गई । उसमें हाथ से ओटी हुई कितनी तथा मशीन से ओटी हुई कितनी तथा दोनों की प्रतिशत । अगर वास्तविक अथ अल्प्य हाँ तो आनुमानिक दिए जाय ।

२२ स्थानीय, सघ के अपन विभाग द्वारा तथा एजेंसियों द्वारा तैयार किये गये औजारों तथा अन्य बुनाई के सामान के सम्बन्ध की जानकारी —

(i) ओटनिया (ii) धुनकिया (iii) तांत (iv) तडुवे (v) चरल (vi) गति चक्र

२३ खादी सरजाम कार्यालय साबरमती से तथा अन्य कहीं प्रात बाहर से खरीदे गये औजार तथा बुनाई-सामान की जानकारी (अनुक्रम सख्या २२ में बनाये गये ढग स) याने (i) ओटनिया (ii) धुनकिया आदि ।

२४ साल भर में धुनाई और पूनी बनाई में नई तांत्रो अभ्यस्त बनाई गई कस्तिनों के बारे में जानकारी । रजिस्टर में दर्ज धुनने में अभ्यस्त कस्तिनों की सख्या अलग बनाई जाय ।

साल भर में नई कस्तिना की सख्या जिन्हें धुनाई और पूनी बनाने की शिक्षा दी गई हो । तथा रजिस्टर में दर्ज कुल ऐसी कस्तिनों की सख्या । स्वयं धुन लेने वाली कस्तिना की संख्या अलग बताई जाय ।

२५ धुनाई और पूनी बनाई में यदि कोई सुधार हुआ हो तो उसकी जानकारी । साल भर की कुल सूत-उत्पत्ति का (क) स्वयं-धुनने वालों से (ख) चर्या सघ द्वारा धुनाई-मशीन से (ग) सघ द्वारा सियाए गए पिंजारों से तथा (घ) धददार पिंजारों से—अलग अलग प्रतिशत ।

२६ ऐसे चर्यों की सख्या जिनका कार्यक्षमता, नग तकुरे, बारीक तकुरे, धिरीवाले तकुरे या गतिचक्र के उपयोग से बढ़ाई गई हो । वर्ष के दौरान में कस्तिनों न सुबरे हुए तकुरे कितने लिए । कितने नये गतिचक्र लगाये गये ।

२७ सालभर में दिया गया नया सुधरे चर्मों की सरया तथा उनकी निरम तथा उबक निम मिश्र मातों की लबाई चौटाई के हिसाब का जानकारी ।

२८ एमी गई कचिनों की सरया जिहें सालभर के अदर कताई के सुधरे तरीमें की जानकारी दी गई । तथा कताई में अम्यस्त रजिस्टर म दर्जे कचिनों की सरया ।

२९ ओगन में किए गये सुधार की जानकारी । ८४० गज की स्टैण्डर्ड गुण्डियों की सरया जो विवरण साल में प्राप्त हुई तथा उनका कुल सूत उत्पत्ति का प्रतिशत ।

३० चारपुज के अग्रन जो विवरित भिये गए ।

३१ सूत बाह, समानता तथा उमकी मन्वृती के लिए कोई सुधार हुए हों तो उनकी जानकारी ।

३२ एस कार्यकर्ताओं की सरया जिनको धुनाई तथा कताई की वैज्ञानिक शिक्षा दी गई हो । इनमें कितने अम्यस्त हुए तथा इन शिक्षा पर हुना कल खर्च ।

३३ उत्पत्ति-कन्द्रा में चिपित कार्यकर्ताओं की सरया जो कचिनों को शिल्प शिक्षा देने के लिए रखे गये हों ।

३४ अगर धुनाई और कताई की प्रतिस्पर्धा हुई हो तो उसके परिणाम तथा उसमें बटि गये इनामात की पिछल साल की ऐसी ही प्रतिस्पर्धा म तुलना करत हुए पूरी जानकारी ।

३५ साल में कचिनों की कताई की गति की सूत उतारने के साथ चार पुज के तारमें बाने वाले विवरण जो कि निम्न प्रकार से हों — (एक घट की वास्तविक मात्र के आधार पर )

१५०	१५१	२०१	२५१	३०१	३५१	४००
और	से	त	म	से	त	से
उत्तम नीचे	२००	२५०	३००	३५०	४००	ऊपर
कचिनों की सरया प्रतिशत						

३६ अगर किसी लान क्षेत्र में स्वास्थ्य-बन का कार्य हुआ हो तो उसकी जानकारी । लान सपूर्ण खादीधारियों की एक सूची जो कि प्रथम महीन अपन कपण के लिए कम्पन कम (८४० गज की कप गुकी) ७३ मुंकी कातत हों ।

२६ आम मलाई के कामों की जानकारी —

(क) कृषिनों व अयमाभीणों में ठौर और स्वच्छ मोजन के प्रचार व उसके लिए की गई सुविधाओं की जानकारी तथा सस्ने और शुद्ध भणारों की ध्यवस्था ।

(ख) औषध सहायता — दवाखानों की सख्या उन स्थानों के नाम के साथ वहाँ कि वे चल रहे हैं । तथा दवाई प्राप्त करन वाले मरीजों की कुल सख्या तथा दवाई पर हुका वास्तुविन खर्च ।

(ग) शिक्षा प्रचार — चलाये गए स्कूल व जमातों की सख्या तथा उन केन्द्रों के नाम जहाँ पर ये चलाये जा रहे हैं । औसतन हाजिरी तथा उनके द्वारा पढना लिखना तथा हिसाब का काम सिखे हुए विद्यार्थियों की सख्या । तथा इनपर होने वाले खर्च की विगत ।

(घ) स्वास्थ्य

(च) मादक द्रव्यों का निषेध

(प) ऋण मुक्ति

३८ रंगाई व छपाई के धारे की जानकारी । रंगरेज व छापियों की अलग अलग संख्या । रंगाई व छपाई के लिए अलग अलग दी गई मजदूरी तथा सच के विभागों द्वारा तथा ठेके पर रगे गये कर्षण का धजन तथा उगकी वर्गगजों में लम्बाई अलग अलग दी जाय ।

३९ मुख्य मुख्य विरमों की कीमत-मूची पिछले साल की कीमत-मूची से तुलना करते हुए । साल में अगर कोई घन्ती-बदती हो ता उसके कारणों का उल्लेख किया जाय ।

४० लगाई हुई पूंजी म तब्दिली —

(i) पिछले साल के अन्त में मौजूद पूंजी ।

(ii) विवरण-साल के ,,

४१ शाखा तथा प्रमाणित सस्थाओं के आम कार्य तथा इनकी आर्थिक स्थित की जानकारी अलग अलग दी जाय ।

४२ मुनिनिर्पेत्तिगी, लोकल बोर्ड तथा दवाखानों की दी गई लादी की तादाद तथा

४३ प्रांतीय-सरकार तथा पञ्चसौ रिपान्तों के लिए दो गई खादी की तादाद तथा उसका मूल्य।

४४ साल भर में कश्मिर-महा-कोर से विभिन्न मर्दों में कितनी रकम हाथें हुईं। १९३० में लेकर इन रिपान्तों में कुल क्या क्या काम हुए हैं। उनमें से प्रत्येक मर्द में प्रति मास कितनी रकम खर्च हुई और कितना कार्य हुआ उसकी पूरी जानकारी तथा वह काम-कर्म की कार्य-प्रणाली का बहाने के लिए किये गये प्रयत्नों का उल्लेख किया जाय।

४५ सरकार तथा पञ्चसौ रिपान्तों में मिली बस्तन-विहारी-प्रौद्योगिकी का विवरण अलग-अलग होकर देना चाहिये।

४६ प्रकाशित छात्र-साहित्य की सूची, मूल्य, छात्र-संख्या तथा प्राय-स्वपान। विवरण-साल में प्रकाशित साहित्य का अलग बताना होगा।

४७ ऐसी मुनि-विशेष-लिपियों व लोह-कागज की सूची जहाँ पर खादी सूची से बरी है। ऐसे स्थानों की सूची अलग बनाई जाय जहाँ कि खादी पर पिछे विवरण-साल के लिए ही सूची मांग की गई थी।

४८ साल में अगर कोई सरल-अन्वय-कार्य हुआ हो तो उसकी जानकारी।

४९ विवरण-साल के शुरू तथा अन्त में सूची की बस्तन-विहारी-सरोद तथा उपरि-दर-रूपान्त की कामत का मिलकर—अनुसार, प्रति-रूपान्त-तीनों में। अगर वय-क-की-व-में-का-द-र-दो-बदल-हुई-हो-तो-उसका-भी-उल्लेख-किया-जाय।

५० साल-आखिर-में-वर्षा-सभ-के-सदस्यों-का-सन्ध्या।-कर्म-कारियों-और-अय-की-अलग-अलग।

५१ प्रांत में अप्रमाणित खादी की बिक्री की बन्ती-घरती की जानकारी।

५२ अय-कोई-जानकारी-जो-कार्य-रिपोर्ट-के-लिए-उपयुक्त-हो।

**प्रमाण-पत्र** — प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में छात्रों-अपन-प्रांत-की-प्रत्येक-प्रमाणित-सरदा-और-व्यक्ति-से-नये-सिरे-स-अनुदान-पत्र-मंगा-लिया-करे।-जो-नये-वर्ष-के-लिए-प्रमाणित-समस्त-जाय-उनकी-फेहरिस्त-और-आवेदन-पत्रों-की-सफल-कन्द्रीय-कार्यालय-को-मज-दिया-करे।-प्रमाणित-व्यापारियों-का-काम-का-द-वाला-हो-बकी-सावधानी-स-नियमों-के-अनुसार-करा-लेने।

## प्रमाण पत्रों के नियम (ता १-१-१९५१ से लागू)

१ प्रमाणपत्र खादी की उत्पत्ति और त्रिको के लिए या केवल त्रिको क लिए दिए जायेंगे। व खादी का काम करनेवाले व्यक्ति या संस्थाओं को दिए जायेंगे न कि माल को यानी खादी या खादी से बनी हुई चीजों का।

२ प्रमाणपत्र देने का अधिकार चर्खा गध के केन्द्रिय कार्यालय के सामान्य नियंत्रण में शाखा के एजेंट को और जहाँ एजेंट न हो वहाँ उसके मंत्री को होगा। व्यापारी को जिस शाखा की हद में काम करना हो उससे अधिकारियों से प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिये।

३ शाखाओं को अपनी विशेष परिस्थिति के लिहाज से अपने लिये उपनियम बना लेने का अधिकार है बशर्ते कि वे सघ के नियमों के विरोधी न हों। प्रमाणित व्यापारी को चर्खा सघ के और शाखा के बने हुए या भविष्य में समय समय पर बनने वाले सब नियम उपनियमों का पालन करना होगा।

४ प्रमाणित व्यापारी को अपना सारा खादी का काम चर्खा सघ की नीति के अनुसार तथा उन्हें सघ द्वारा या जिन शाखा की हद में वे काम करते हैं उस शाखा द्वारा समय समय पर दी गई हिदायतों के अनुसार चलाना होगा।

५ प्रमाणपत्र का वर्ष १ जुलाई से ३० जून तक का गिना जायेगा। प्रमाण पत्र कमी से १ वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं दिया जायेगा। वर्ष के बीच में दिया हुआ प्रमाणपत्र उन्नी वर्ष के आखिर में खत्म हो जायेगा। नए वर्ष के लिए चार वर्ष के खतम होने से १ माह पहले ही दरखारत करके फिर से नया प्रमाणपत्र ले लना चाहिये। उसही मियाद खतम होने पर व्यापारी को बिना नया प्रमाणपत्र लिए खादी की उत्पत्ति का या त्रिको का काम न करना चाहिये।

६ प्रमाणपत्र उन्नी व्यक्ति को दिया जा सकेगा कि जो स्वयं और जिसके साथ के खादी काम करनेवाले सब कार्यरत आदतन व सम्पूर्ण खादी गरी हों। और जो स्वयं नियमपूर्वक हर महीने कम से कम साठे सात गुन्नी सूत (८४० गज की १ गुन्डी) कातने हों और चर्खा सघ के सूत-सवस्त्र हों। प्रमाणपत्र चाहन



शाला। सस्था के लिए सादी पहनने की शर्तें तो उसके सदस्य, अध्यापक, विद्यार्थी, कार्यरत्ता आदि सबका गण्यु हागी। पर सूत कातने की तथा चर्तासध के सूत सदस्य बनने की शर्तें उमक मुगरे पदाधिकारियों के लिए ही अनिवार्य हागी। सस्था के लिए यह भी आवश्यक है कि उसके उद्देश्यों में या कार्यक्रम में सादी का विशेष स्थान हो। याच या सस्था दाना क लिए जरूरत है। उनक यहाँ प्रलय या अप्रलय किसी प्रकार से मिठ क सूत का या मिल के बा कपन का यापार न होना हो। शाखा का रस उत्पत्ति का प्रमाणपत्र व्यक्ति की अपक्षा सार्वजनिक सस्था, ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसायटी की दन की ओर रहेगा।

७ प्रमाणित यापारी नियम उपनियमों का ठीक ठाक पालन न करेगा तो उसका प्रमाणपत्र उसकी निपाद के बीच में ही रद्द किया जा सकेगा। यापारी ने नियमों का भग किया या नहीं इसके निर्णय करने का अधिकार शाखा की हागी और उसका पगला व्यापारी का बधनकारक रहेगा।

८ प्रमाणित उत्पत्ति व्यापारी को खादी केन्द्र हाथ से कने सूत की ही हाथ बरध से सुनवानी हागी। उसे ऐसा प्रबध करना चाहिए कि उसम मिल के सूत का मिश्रण बिलजुल न होने पावे।

शाखा की सूचना के सुनाचिन कामगारों के रजिस्ट्र रखने हाँगे। और रजिस्ट्र सुदा कामगारों से ही सूत लेना हागी। तैयार कपडा कमी न हागीदना चाहिए। अपने सूत से ढो सुनमाना चाहिए। कामगारों को मजदूरी तध द्वारा नियत की गई दरों से कम न दनी चाहिए और उनका सिम्बा कर उसनी मजदूरी पान लायक बनाना चाहिए तथा ऐसा प्रबध करना चाहिए जिगम उनको अच्छ और और अच्छा कपडा माल मिल सक।

बद अपना माल पर प्रात में नहीं बेच सकेगा। अपन प्रात में भी शाखा के नियत किए क्षेत्र में ही बेच सकेगा।

९ बिक्री का प्रमाणपत्र दने में नीति सामान्यत सादीप्रेमी और सादी सेवा करना चाहनवाक व्यक्ति या सस्था को उत्तजन दने की रहेगी। पर वह जहा बिक्री का काम करना चाहता हो वहाँ सचमुच म उसकी जरूरत है या नहीं इस

और विशेष ध्यान रहेगा। जहाँ पहले से ही शाखा का या प्रमाणित व्यापारी का मंडार हो वहाँ नया भण्डार चलाने के लिए प्रमाणपत्र नहीं दिया जायेगा। उस यथाशक्य अपन प्रात का ही माल बेचना होगा।

१० प्रमाणित व्यापारी को अपना काम सुन्दर किये हुए क्षेत्र में ही करना होगा। उसके द्वारा शाखा के या अन्य प्रमाणित व्यापारी के नाम में बाधा न पहुँचनी चाहिए।

११ प्रमाणित व्यापारी को शाखा की हिदायतों के अनुसार हिमाश्रिताव आदि के रजिस्टर रखने का और व निरीक्षकों को बतलान होंगे, तथा उनको हिसान जाचने में मदद करनी होगी। समय समय पर भागी हुई रिपोर्ट और अरु भेजना होंगे, और वापिस हिसाब आडिटर द्वारा जँचवा कर शाखा का भेजना होगा।

१२ प्रमाणित व्यापारी का अपना माल शाखा द्वारा समय समय पर नियत की गई दरों से ही बेचना होगा। वह पर-प्रात से माल का लेन देन केवल शाखा के मार्फत ही कर सकेगा। वह अप्रमाणित व्यापारी का अपना माल नहीं बेच सकेगा।

१३ प्रमाणित व्यापारी जो शाखा द्वारा नियत किया हुआ खर्च लेने के बाद जो बचत रहेगी वह शाखा को दे दना होगा। यदि शाखा चाह तो यह बचत की रकम प्रतिमान देनी होगी। यह रकम कामगार सवा कीप में जमा होकर, सप द्वारा कामगार या माहुरा के हित में खर्च की जायेगी।

१४ प्रमाणपत्र की मियाद खतम होनी या रद्द किये जान की सूचना प्राप्त होने ही वह प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र देन वाली चर्खा सप को शाखा को वापस कर देना चाहिए।

१५ प्रमाणित व्यापारी का नियत की हुई प्रमाणपत्र की फीस तथा निरीक्षक की फीस प्रमाणपत्र की अर्जा मजूर होने पर प्रमाणपत्र मिलने के पहले देनी होगी। असी वा पर फीस के दर नीचे सुनाई है —

उत्पत्ति— प्रथम ५०,००० की उत्पत्ति पर ४ आन सैकड़ा तथा उत्तम उत्तर की उत्पत्ति पर २ आन प्रति सैकड़ा तथा कम से कम रु० १० र —

**विशेषी**—उत्पत्ति बन्द में स्थापित बिजली मण्डल की बिजली पर उत्पत्ति बन्द वालों से कुछ न लिया जाय। बाकी तमाम बिजली मण्डलों को इस प्रकार फीस दनी होगी।

बिजली पर -) आना सैन्ट्रल फीस हो, परतु रु ८०००) की बिजली तक सालाना रुपये ५, तथा रु ८००१) से रु १६,००० तक रु १०) से कम फीस न हो।

**नोट** — इन नियमों में “प्रात” का मतलब चर्खा सघ की शाखा के कार्यरत से है। और “प्रमाणित व्यापारी” का मतलब उत्पत्ति और बिजली अथवा कबल बिजली दोनों तरह के प्रमाणित व्यापारियों से है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, या मण्डल हो, या सस्था या दूसरा हो।

प्रातीय सरकारों, देश रायों, स्थानिय स्वराज्य सस्थाओं तथा रजिस्टर्ड सहकारी

सस्थाओं के लिय विशेष —

(१) आदतन खादी पहनने, सूत कातने, व चर्खा सघ का सदस्य बनने की शर्त खादी काम के व्यवस्थापक व कार्यकर्त्ताओं को लागू हो।

(२) बचा हुआ सुनाया चर्खा सघ का दिये जान क बजाय उसका उपयोग चर्खा सघ की सूचनाओं व विचार परक यथासम्भव कामगारों के हित में ही करना चाहिये। इस सम्बन्ध के उप नियम चर्खा सघ की सलाह लकर बनाये जान चाहिये।

(३) व्यवस्थापक खादी में विरताम रखने वाला एवं चर्खा सघ की पसंदगी का होना चाहिये।

प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में शाखाएं अपने प्रातीय चर्खा सघ की व प्रमाणित उत्पत्तिकेन्द्रों और बिजली मण्डलों की सूची, के दाय-कार्यालय का भेजा करें, और वर्ष के दौरान में सघ के नये तथा बंद केन्द्रों और मण्डलों, तथा नये प्रमाणित सस्थाओं और व्याक्तियों, व प्रमाणपत्र रद्द हो जाने वाली सस्थाओं और व्यक्तियों के नाम प्रातीय-कार्यालय को तुरत सूचित किया करें।

**खादी एजेंसिया** — एम एच २ रमाना में गहा सघ क या प्रमाणित सस्थाओं के बिजली मण्डल न हों खादी सुद्वेष्य करन क लिय शाखाओं भाग तीन में दिय गये नियमों के अनुसार एजेंसिया

द सकेंगी। स्थानिक विशेष परिस्थिति के कारण नियमों में कुछ परिवर्तन करना जरूरी हो तो केन्द्रीय कार्यालय की मंजूरी लेकर परिवर्तन करना चाहिये।

**सघ के सूत मन्दस्य** — प्रयेव वर्ष क अन्त में आगामी वर्ष की जुलाई के अन्त तक शाखाएँ सूत मन्दस्यों की सूची केन्द्रीय कार्यालय को भेजा करेंगी, जिसमें सघस्य का नाम, पूरा पता, तथा वह कब से कब तक का चक्रा दे चुका है, यह विवरण दिया गया हो।

**स्टैंडर्ड किस्में** — नीचे लिखी स्टैंडर्ड किस्में बनाने की मरतक कोशिश की जाय —

### सादा शार्टिंग

घूत का षक	पोत	घुन कपडा की चौडाई	धुले धान की लबाइ
८	३२	२७ इंच	१२ गज
८	३२	३२ "	"
१०	४०	३२ "	"
१०	"	४१ "	"
१२	"	४५ "	"

### धोती

१०	३६	४५ इंच	४ गज
१२	३८	४५ "	"
१४	४२	४१ "	"
१६	४४	५० "	"

### साड़िया या साड़ियो का कपडा

१६	४२	४५ इंच	५ गज
२०	४६	५० इंच	"

**उधारी** — शाखा अपन प्रत्येक केन्द्र और मंडार का कडी सूचना देगी कि वह सघ क किसी कार्यकर्ता, या बाहर के किसी माहुर या सहा को फुन्डर या धोन कितनी प्रकार की मी उधार निकी न करेगा, और न जाँच माल या नकदी उधार देगा, हम नियम का मग करन वाले कार्यकर्ता के साथ नियमावतुल कार्रवाई की जानी। वर्तमान उधारी नो प्रमूल कर्मन का साथ पूर्ण प्रयत्न करेगी, और प्रति माग उधारी की स्थिति केन्द्रीय कार्यालय को बतलाती रहती।

हिस्साय — जागाओं के सिद्ध समुद्र पर पूरे एन के बार में काफी विवादास्पद है।  
 हिस्साय विनाश के बाद माला हुए कालासुधों का व्यवसायन दूसरे कामों में नहीं लगाना चाहिए।  
 साधारण अथवा नदी के जल हुए एक दुसरे स्थान हुए साधारण (T B) दूसरे महीने की  
 २५ सारोम तक केन्द्रीय कार्यालय में अग्रय मत दिया करें।

प्रोवीय कार्यालयों में तीमर महीने नीचे लिखे मातों का सम्मिलित हिस्साय करके केन्द्रीय  
 कार्यालय में भन्न दिया करें —

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| १ अधिन्य भारत बर्षों सप का जमा      | ६ अग्रय जमा रकमें (उचत)   |
| २ स्थानिक करके गाने जमा (विगत सलित) | ७ बंरी तथा हाथ की नकदी  |
| ३ विविध रिजों में जमा (विगत सलित)   | ८ नाम रकमें —   |
| ४ पुत्रकर लोगों का देना             | (अ) पार्यइर्छा (प्रॉविण्ट फउ तथा सप के<br>काम के लिये दी गई पछगी के अलावा)। |
| ५ कामगारों का जमा —                 | (आ) कामगार  |
| (अ) पूजों के लिये                   | (इ) मङ्गरी में माह्वों से   |
| (आ) खावों के लिये                   | (ई) बाकी अग्रय लेना   |
| (इ) दिने गये माल की जगह अमानत       |   |



(ग) 'अमानत' का अर्थ कार्यकर्ता द्वारा प्राविण्ट फंड में दिया गया हिस्सा है, तथा 'देने' का अर्थ चर्खा संच का दिया हिस्सा है, और इनमें से प्रत्येक पर उपजा हुआ ध्यात्र भी गिना जायगा।

(घ) सित्राय फलम २ के जहा वही भी 'नीकरी का समय' का इस्तमाल हो, उसका अर्थ उस कार्यकर्ता के प्राविण्ट फंड में शामिल होने के बाद चर्खा संच में भी गई नीकरी का समय है।

(ङ) "सतत नीकरी" का समय गिनन में बीमारी के लिए छेडकर आय किनी कारणवश ली गई छुटी का समय बाद किया जायगा।

२ कोई भी कार्यकर्ता इन नियमों के अनुसार बनी हुई प्राविण्ट फंड योजना में चर्खा संच में कम से कम एक वर्ष नीकरी करने के बाद शामिल हो सकता है।

कोई भी कार्यकर्ता जो प्रोविण्ट फंड में शामिल होना चाहे वह नीच लिखे अनुसार आश्दन भत्र —

१. मैं इस लेख द्वारा चर्खा संच में जो प्राविण्ट फंड के नियम बनाये हैं उन्हें कबू करता हूँ, और इफरार करता हूँ कि मैं इन नियमों के तथा चर्खा संच भविष्य में इस लिये जो मैं नियम बनावेगा उनके अनुसार चलूंगा, और स्वीकार करता हूँ कि हर महीने मरी तनखाह में से प्रोविण्ट फंड के लिए चर्खा संच आवश्यक कर्ती कर लिया करे।

२. जो कार्यकर्ता प्राविण्ट फंड में शामिल होता है उसको हर महीने अपनी तनखाह के प्रति रुपये पर एक आना रकम जमा करनी होगी, और यह जमा करने की रकम अर्थात् अमानत की रकम जिन कार्यालय में वह कार्य करता होगा उसके व्यवस्थापक द्वारा जमा उतारी हर महीने तनखाह दी जाती है तब उस तनखाह में से काट ली जायेगी।

३. प्रोविण्ट फंड में शामिल हुए कार्यकर्ता द्वारा ली हुई तनखाह के प्रथम रुपये पर एक आना के हिसाब से चर्खा संच में उती समय अपना दान भी रकम जमा करगा।

४. सब अमानत और देन की रकमों पर दर साल सेकण्ड ३ बष ध्यात्र लगाया जायेगा।





कार्यकर्त्ताओं को साक्षात् द्वारा सिद्धायें — (ग) में की व श्रेष्ठि अपने कार्यकर्त्ताओं के लिये विस्तृत सूचनायें तयार करें, ताकि वे स्वयं वा कुल मन्त्र सूरक्षित व जल्दी द्वारा में रहें। नकदी की व्यवस्था शाखा द्वारा निर्दिष्ट गेजि से करें, तथा समय २ पर शाखा की गज के अनुसार कार्य और हिसाब सम्बन्धी रिपोर्ट नका कर। अम लीर पर रोडगणक व सच के लिये एक छापी ही नियत समय एवं दर एवं सब रकम रोड व राज नियत बैंक में या नियत मद्रुहा के यहाँ जमा करा देनी चाहिये। प्रांतीय कायान्य, उपरिष्ठ के-न विन्ने भरारो तथा अत्र नितामें में रली जान कले द्विपव कितान की बहियों, फीमों और पदनि व रिपय म गगणाम दिनाक समिति से समय २ पर प्रथ सूचनाओं का जमल करंग।

जापन निधान मजदूरी — गज के निधान में कुछ फर्क द्विप गज देने ही शय ने अपने आदर को भी कक्षा उताग की कोशिश की। इसीसे १९३३ तक खर्ची सत्र, वातग र जिन मजदूरी पर काम करत को मित्र सफन व उननी हो मजदूरी देता रहा। परन्तु १९३५ साल में पूज्य गांधी जी की सूचना के अनुसार मजदूरी की दरों में 'जीवन निवाद् मजदूरी' का निर्द्धारत शारित किया गया। इस सम्बन्ध में अ मा व गज की कौशित द्वारा ११ और १२ आगूबर १९३५ की वर्षा की समा र्म नीचे किता प्रस्ताव स्वीकृत हुआ —

१ "इस कार्यकारिणी समिति की यह राय है कि कतिनों को अमो जो मजदूरी दो जाती है वह पर्याप्त नहीं है। इसलिये यह समिति ऐका निरवय करती

हे कि मजदूरी की दरों में वृद्धि की जाय। और उमर का एक ऐसा उचित पैमाना निर्दिष्ट कर दिया जाय कि जिसमें कृत्तिना की उन आठ घंटों के पूरे काम के लिये कम से कम इतना पैसा मिल जाय कि जिससे उन्हें कम से कम अपना अन्नरत मर का कपड़ा (सालाना २० चौंस गज) और वैज्ञानिक रीति से नियत किये हुये आहार के पैमाने के अनुसार मौतन मिल सके। अपनी २ परिस्थिति के अनुसार सभी शान्ता ॥ की उमर की मजदूरी के अन्त में पैमानों का तब तक बड़ात जान की कोशिश करनी चाहिये जब तक कि ऐसा पैमाना बन जाय कि हरक कानून के मुद्दम या पाठन पोषण उम मुद्दम के काम करने वालों की कमाई से हो सके।

२ “उत्पन्न वस्तु के अर्थात् जो विदात हू उगे आगल में खाना म चर्दी सभ क कार्यकर्त्ताओं को दिशा सुचिन करन क लिये, सभ की समस्त शाखाओं, और सभ स सम्पद्ध, या दूसरा किसी भी तरह सभ के नीचे काम करने वाली संस्थाओं के लिये सभ की निम्नलिखित नीति तब तक निर्दिष्ट समझी जायेगी जब तक यह समाप्ति अपने नये अनुभव के आधार पर इसमें हेर फेर न करे।

“सब का ध्येय यह है कि हिन्दुस्तान का हर एक परिवार उमरी कछ सम्बन्धी आवश्यकता की द्वाारा पूरी करके राखनी बनाया जाय, और सादी उत्पन्न करने वाले कारोबारों में सब स काम मजदूरी पाने वाली कृत्तिनों, तथा काम बोने से लकर सादी बुनने तक की समाप्त मिल २ क्रियाओं में लगे हुए समस्त को पुख्या का हित सासन किया जाय।

३ “इसलिये यह जरूरी है कि जो लोग बतौर कारीगरों के या बेचने वालों को हैमियत स, या अन्य क्रिया भी रीति से सादा उत्पात्त का काम करते हों, उन्हें दूसरे किसी भी प्रकार के कपड़े की काम में नहीं खाना होगा, अर्थात् केवल सादी का ही उपयोग करना होगा।

४ सभ की समस्त शाखाओं और उमरी सम्पद्ध संस्थाए इग योजना की इस तरह अमल में लावे कि प्राग बिल्कुल न हो, अर्थात् वे उतनी ही खादी बनावे, नितनी खादी की मांग उनके क्षेत्र में ही। अपने कद्र के पालन से व इसका आरंभ कर, और अपने प्रांत स आग कड़ी न करें, मियाय उस शुभत के नि मक वहे दूसरे प्रांतों की निर्दिष्ट माग पूरी करने के लिये अतिरिक्त सादी बनाये।



कार्य-स्थाओं द्वारा की हुई आशा से अधिक सफलता मिली है। कौशल, प्रांतीय शाखाओं को यह सम्मति देती है कि वे मजदूरी में और अधिक वृद्धि करने के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव पेश करें, ताकि वे जल्दी ही काम में लाये जा सकें।

कुछ और अनुभव के बाद ता १-२ ३९ से यह नियम लागू किया गया कि सब शाखाओं में आठ घंटे का पूरा काम करने पर कम से कम तीन आना मजदूरी पड़ें। इस निर्णय के अनुसार कतार्ड तथा पुनार्ड की दरों की तालिकाएँ बनाई गईं, और उन्हें सब शाखाओं में चाड़ करने की हिदायत दी गई। उक्त तालिकाओं में कुछ सुटियाँ रह गई थीं, तथा पुनार्ड का दरों की मर्यादा (मान) निश्चित नहीं की गई थी। इसलिए १९४२ में इस प्रश्न का फिर से विचार कर पुनार्ड, कतार्ड और पुनार्ड की नई तालिकाएँ बनाई गईं उनमें कतार्ड और पुनार्ड के पूरे आठ घंटे के काम का मजदूरी तीन आना मानी गई, और पुनार्ड की एक वर्षे पीछे दिन के आठ आना, जिसमें कुशल पुनार्ड और उसके एक साधारण सहायक को मिलाकर करीब १६ घंटे काम करना पड़ता है। ये दरें तथा इन दरों के आधार पर सूत व खादी के पड़ते की तालिकाएँ जगले पृष्ठ से दी गई हैं।

धुनी-पूनियों से कते सूत का पडता

[ ०-३-० राजा के हिसाब से ]

सूत	गति तार		कताई दर				धुनाई दर सूचित रुपये	धुनाई व कताई सूचित रुपये	१ सेर रई की कीमत रुपये	१ सेर सूत के लिए रई की ठीजन के दाम रुपये	८० तो सूत के दाम रुपये	१ धूप सूत के दाम रई म	
	अर	देहली	सूचित	फा गुण्डी		८० तोल क							
				देहली पाई	सूचित पाई	देहली रु०							सूचित रु०
६	३६०	३६०		८		॥	७	॥	१	-	१०	१७	
७	३६३	३६६		८		॥	७	॥	१	-	१०	१६	
८	३६६	३७०		८		॥	७	॥	१	-	१०	१६	
९	३६८	३७०		८		॥	७	॥	१	-	१०	१६	
१	३४३	३००		८		॥	७	॥	१	-	१०	१६	
११	३२०	२९७		८		॥	७	॥	१	-	१०	१५	
१२	३२	२८८		८		॥	७	॥	१	-	१०	१५	
१२	३२०	३०३		८		॥	७	॥	१	-	१०	१७	
१४	३०५	२८०		८		॥	७	॥	१	-	१०	१६	
१६	२९५	२७४		८		॥	७	॥	१	-	१०	१६	
१८	२९८	२७०		८		॥	७	॥	१	-	१०	१५	
१८	२८८	२८८		८		॥	७	॥	१	-	१०	१७	
२०	३०६	२६७		८		॥	७	॥	१	-	१०	१७	
२०	२९३	२६६		८		॥	७	॥	१	-	१०	१६	
२४	२९८	२६२		८		॥	७	॥	१	-	१०	१६	
२६	२७७	२६०		८		॥	७	॥	१	-	१०	१५	
२८	२६४	२४९		८		॥	७	॥	१	-	१०	१७	
२०	२५३	२४०		८		॥	७	॥	१	-	१०	१७	
३२	२३३	२३३		८		॥	७	॥	१	-	१०	१७	

नोट — गति ठहरात हुए यह ग्याल रना गया ह कि महोन कानने वाला आसनी से  
 ३ जना या कुल ज्यादा भी क्या सक। यदि साधन या पूनियां योग्य हों तो वास्तव मे इन क्रम हे  
 गति नहीं घटती जितनी को सूचित करन वस्त क्रमध घगयो गयी है।

रई के दर और ठीजन के जो दाम तालिका में बनलाए गये है व बाजार भाव, अनुमान और  
 फमड क बरिया या बनीया रहन क कारण बदलत रहेग। उपर्युक्त दरा में परिस्थिति के अनुसार  
 कतना फर्क पडता रहेगा।



खादी की निरत किस्मों का पडता

[नई दरों के अनुसार]

अधिकतम सख्या	वस्त्र	पैदा का कार	पैदा	गोदी	खुलने पर		गुणी	पैदा बजान सि	पैदा कर सय	पैदा बजान सय	पूरा कर सय	पूजा कर सय	पूजा कर सय	विवी दर	दर
					खुलने पर	विवी दर									
१	खोली	८	३२	२२	२२	२७	२३	२७	२७	२७	२७	२७	२७	३३	१०%
२	"	८	३२	२२	२२	२७	२३	२७	२७	२७	२७	२७	२७	३३	१०%
३	"	८	३२	२२	२२	२७	२३	२७	२७	२७	२७	२७	२७	३३	१०%
४	"	८	३२	२२	२२	२७	२३	२७	२७	२७	२७	२७	२७	३३	१०%
५	"	८	३२	२२	२२	२७	२३	२७	२७	२७	२७	२७	२७	३३	१०%
६	"	८	३२	२२	२२	२७	२३	२७	२७	२७	२७	२७	२७	३३	१०%
७	"	८	३२	२२	२२	२७	२३	२७	२७	२७	२७	२७	२७	३३	१०%
८	"	८	३२	२२	२२	२७	२३	२७	२७	२७	२७	२७	२७	३३	१०%
९	"	८	३२	२२	२२	२७	२३	२७	२७	२७	२७	२७	२७	३३	१०%
१०	"	८	३२	२२	२२	२७	२३	२७	२७	२७	२७	२७	२७	३३	१०%
११	"	८	३२	२२	२२	२७	२३	२७	२७	२७	२७	२७	२७	३३	१०%
१२	"	८	३२	२२	२२	२७	२३	२७	२७	२७	२७	२७	२७	३३	१०%
१३	"	८	३२	२२	२२	२७	२३	२७	२७	२७	२७	२७	२७	३३	१०%
१४	"	८	३२	२२	२२	२७	२३	२७	२७	२७	२७	२७	२७	३३	१०%
१५	"	८	३२	२२	२२	२७	२३	२७	२७	२७	२७	२७	२७	३३	१०%
१६	"	८	३२	२२	२२	२७	२३	२७	२७	२७	२७	२७	२७	३३	१०%
१७	"	८	३२	२२	२२	२७	२३	२७	२७	२७	२७	२७	२७	३३	१०%
१८	"	८	३२	२२	२२	२७	२३	२७	२७	२७	२७	२७	२७	३३	१०%
१९	"	८	३२	२२	२२	२७	२३	२७	२७	२७	२७	२७	२७	३३	१०%
२०	"	८	३२	२२	२२	२७	२३	२७	२७	२७	२७	२७	२७	३३	१०%

—X— १२ नगर में बगिया और बडिया दोनों किस्मों की रुई के इस्तेमाल किये जान से जिस तरह का पक होना, या बालों का छिन्न  
 छटिंग और धोनी में दोनों प्रकार का पडता दिया गया है।

१३ गज पुटे धान के लिये नौ गोदी रुई मुठ लोपा तथा दिसाव यहाँ जोटा गया है जोने ५ वीं प के रुये अर्थात् एक गीस के  
 लिए ६ मडिया लगे हैं। कोठो और गढी का जन्पात ५ ६ का रहना। यह सम्भव है कि जिस प्रांत में ताना १२ गज से अधिक

ये दरें कम से कम हैं। यदि कोई शक्ता चाहे तो केन्द्रीय-कार्यालय से मजूरी लेकर अधिक मजूरी भी दे सकती है। हमारा प्रयत्न यही होना चाहिए कि हम धीरे-धीरे कामगारों की आमदनी बढ़ाते जायें। मजूरी की दर जिस कम से कम आय को नजर में रखकर नियत की गई है, उतना प्राप्त करने लायक सब कामगारों को बनाना हमारा कर्त्तव्य है। कृषि के काम बहुतों औजार भी अच्छे नहीं रहते, और वह कातने की कला भी उतना नहीं जानती। उसे स्वयं रुई भी अच्छी नहीं मिलती इसलिए शान्ताओं का कर्त्तव्य है कि वे कृषि के कामगारों को अच्छे कच्चा माल मिलाने में सहायता करें, औजार अच्छे मिलाने का प्रबंध करें, और उनको कातने की कला में कुशल भी बनायें, ताकि वे पूरी रीति से काम सकें। कामगारों को कार्यवृत्त बनाने का उच्चतम तरीका परिश्रमालय चलाना है, जिसकी जानकारी 'सादी जगन्' क जून १९४२ के अंक में दी गई है। परिश्रमालय के बजट का फार्म माग तीन में दिया गया है। कच्चे माल, और औजारों के लिए सब को धरी सहन करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु कृषि के कामगारों को धुनाई और कटाई मिलाने और उन्हें कुशल बनाने के लिये कुछ खर्च करना पड़गा। चर्चा सच में जो बचत होती है वह कामगार सेवा कोष में सुरक्षित रखी जाती है। उक्त खर्च तथा कामगारों के हित के अन्य कार्य इस 'कामगार सेवा कोष' में से किये जाने चाहियें। उनकी तकलील इस प्रकार है —

## कामगार सेवा कोष का विनियोग

चर्चा सच की ता ७ से १० नवम्बर १९४० की सभा में कामगार सेवा कोष के सम्बन्ध में नीचे लिखा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया —

बहुत ही शाखाओं में कामगार सेवा कोष (कृषि सेवा कोष) काफ़ी जमा हो गया है। अब उसे अधिक बढ़ाने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं मालूम होती। चर्चा सच की नीति भी यह है कि कामकाज उस रीति से किया जाय कि उसमें घुनाफा न रहे। तथापि यदि घुनाफा रह गया तो उसका क्या किया जाय इसको चर्चा होकर निश्चय हुआ कि सच की शाखाओं में जयवा प्रमाणित व्यक्ति व सहायकों में जो घुनाफा हो उसका केन्द्रीय दफ्तर का दमवाँ भाग छोड़ कर बाकी कामगारों अथवा सहकारीदरों के हित में खर्च कर देने की नीति रहे।

उक्त प्रस्ताव के अनुसार निम्न बातें मोची गई हैं —

कामगार सेवा कोष में दो प्रकार की रकमों का समावेश होता है। एक कामगार की अप्रत्यक्ष कृषि की और दूसरी मातृ-वृद्धि के कारण या अन्य कारणों से शाखा में हुये



इन दोनों रूढ़ियों में से किस किस प्रकार के काम के लिये सर्वे करना उचित होगा इन बारे में नीचे लिखी बातें निश्चय का गर्ई हैं और उनका महत्त्व भी आक्रमक व अनुसर समझना चाहिये:—

- १ कामगारों का परिधमालया म दस्तकारी की तालीम देना यानी चप्पा माल तयार करने और छीप्रना से तैयार करने की शिक्षा देना ।
- २ कामगारों में सरजाम वितरण करना तथा सरजाम कार्यालय चलाना ।
- ३ शादी विपालय चलाना ।
- ४ कामगारों के बच्चों को उद्योग और अक्षरज्ञान दोनों दृष्टियों से शिक्षा देना ।
- ५ प्रौढशिक्षा—कामगारों को अक्षरज्ञान देना ।
- ६ सुधार व सशोधन करना ।
- ७ कामगारों को सुप्त औषधियाँ देने का प्रबंध करना, स्वच्छता और स्नानपान के बारे में उन्हें उचित शिक्षा देकर आरोग्य के बारे में उनका ज्ञान बढ़ाना और उनका जागरूक सुधारना ।
- ८ कामगारों की कृणमुक्ति की योजना चलाना ।

ऊपर लिखे सुझावों में कौनसी बातें शामिल की जा सकती हैं और ये योजनायें किस ढंगसे चलाई जानी चाहियें इसका अधिक खुलासा आगे दिया जा रहा है —

### १ दस्तकारी तालीम —

कामगारों की कला और उत्पादन शक्ति में तरकी करने की दृष्टि से उन्हें शिक्षा दी जाय । इसके लिए शिक्षकों का, स्थान के किराये का और परिधमालय की व्यवस्था के लिए लगने वाला कुछ पुर्टकर सर्वे इस मद में बाला जाय ।

कामगारों का इस प्रकार की शिक्षा देने का प्रबंध दो तरह से किया जा सकता है । गाँव में किसी एक स्थान में उन्हें इकट्ठा करके शिक्षा देना या उनके घर घर घूम कर उन्हें शिक्षाना । घर घर घूम कर शिक्षाने में अधिक खर्च और साधनानी की जरूरत पडती है । इसलिए यह ठीक समझा गया है कि पहले तो कामगारों को एक स्थान में जमा करके ही ऐसी शिक्षा देने की योजना बनाने में

जायी जाय। जिन कामगारों की तरफी सतोपजाऊ पाई जाय व बाद म अपन घर काम करें लेकिन उई से छिन्ना दी जा चुकी हो उसे थायम रखने की दृष्टि से उपपर देखमाल रखी जाय।

परिश्रमालय के यानी कामगारों का इकट्ठा करके सिन्ना देणे के नियम ऐसे हों कि कारीगरों को खर पोश बनणे में और शरीर-शुद्धि वस्त्र शुद्धि, आदि के नियम पालन करन में सहायता मिले।

परिश्रमालय क फुटकर सर्वे में निम्न बातें शामिल की जा सकती ह। रिवाइ रखने क लिए योगीसी स्टेशनरी, चर्ख के लिए लगनवाला तल, गौर, सनाई के लिए शाइ आदि। इसके उपरान्त मल मूद विपर्जन के लिए स्थान तयार करना।

वांत, कारर, तकवा आदि का सर्वे कामगारों को स्वय ही कराना चाहिए। ये चीजें कमी भी क्षम में नहीं दी जानी चाहियें।

## २ सरजाम वितरण करना तथा सरजाम कार्यालय चलाना—

हमारे कामगार आज जिन साधनों द्वारा खादी उत्पादन का काम कर रहे हैं। उनमें तरकी के लिए काफी गुंजाइश है। विशेष करके साधनों में दो दृष्टियां रख कर तरफो करने की जरूरत है।

१ ऐसे साधन जिनस माल अधिक जम्हा बन जाय।

२ ऐसे साधन जिनसे कामगार की उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो और परिणाम स्वरूप उसकी कमाई का परिमाण बढ़ जाय और माल भी सस्ता बना लगे।

उपर लिख गुणवाउ सरजाम का कामगारों में प्रयोज कराने के लिए यह योजना बननी चाहिए। कामगारों को ऐस साधन मुफ्त में भांने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनकी रकम एक मुग वसूल करना भी कठिन होना समभव है। इसलिए यह योजना उपस्थान की बनाने की जरूरत नहीं। अगर कामगारों से कीमत थीर धार कर्न करने की दृष्टि से देखल पूजी लगाना उचित समझ कर यह योजना की जाय।

सांगदर सरजाम वितरण करने का तरीका यह ही कि कामगार परिधालय में कुछ दिन एने उपयोग सीख ले। उसकी कीमत का कुछ हिस्सा वहीं अदा कर दे, और बादमें वह माल जाय और पौड कुछ समय में बाकी कीमत दे दे।

संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक इच्छा से किसी एक स्थान में संरक्षण कार्यालय चलाया जाय। इसमें यथासम्भव पुस्तकालय गढ़ी होना चाहिए। कच्चा नुकसान तो बर्तई नहीं होना चाहिए। यह संभव है कि प्रारम्भ में संरक्षण का उपायन कम हो और उत्तरी बिंदी भी कम हो तो पूरा पूरा व्ययस्था सर्वे उन्में ता न निबलन पावे। उम दशा में कुछ अरसे तर्क व्यवस्था सर्वे का उद्योगन कुछ हद तक उठाया जा सकता है। बरना यह योजना भी पूंजी की लागत वाली योजना में हा शामिल मसहनी चाहिए।

### ३ खादी विद्यालय चलाता—

सच की सारी प्रवृत्तियों के लिए कार्यकर्ता तैयार करने की इच्छा रखकर विद्यालय चलाया जा सकता है। इसमें मुक्तान उठाया अनिवार्य है। नुकसान की रकम इस मद में डाली जाय।

विद्यालय किम दम स चलाया जाय इस विषय में यहाँ अधिक लिपन की ज़रूरत नहीं है। वहाँ सच की खादी विद्यालय समिति ने इस सम्बन्ध में जो मर्यादाएँ जारी हैं उन्हें नजर में रखकर इन विद्यालयों का कार्यक्रम रखा जाना चाहिए।

यह विद्यालय किसी उत्पत्ति क्षेत्र में ही चलाया इष्ट समझा जाय ताकि विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष काम का अधिक से अधिक अनुभव मिल सके।

### ४ कारीगरों के बच्चों की शिक्षा—

शिक्षण में कारीगरों को प्रथम स्थान दिया जाय। अक्षरी-शिक्षा एकी दी जाय तो उनके कारीगरी जीवन में उपयोगी साबित हो।

बच्चों को स्वयंसेवक हो ऐसी इच्छा रहे, नियम न बनाया जाय। पुस्तक, स्टेशनरी आदि का सर्वे यथा सम्भव विलकुल कम किया जाय। खेल या सामान बिना सर्वे या हो। महान खराबा न लगे ऐसी योजना बनाने की कोशिश की जाय। काम इसी काम के लिए मकान तो बर्तई न बनाया जाय।

बच्चों की प्रवृत्तियों में कुछ हद तक आग करने की कोशिश करना शुरु न माना जाय। ऐसी आग का अधिक से अधिक आधा शिक्षा बच्चों को ही उनका व्यक्तित्व लाभ के लिए लौगाया जा सकता है।

**नोट** —तालीमी सघ को इस मांग पर कि चर्खा सघ की हर शाखा में कारीगरों के बच्चों के लिए—एक एक पाठशाला—'सघ' की ओर से चलायी जाय और उनमें बुनियादी शिक्षा का अभ्यास करा जाय जारी किया जाय—विचार किया गया।

चर्खा होने के बाद और बाद में पूज्य गांधी जी की सम्मति मिल जाने पर यह प्रस्ताव किया गया कि चर्खा सघ के लिए हर शाखा में ऐसी पाठशालाएँ अभी खोलना सम्भव नहीं होगा। मगर जिन शाखाओं में कारीगरों के बच्चों के लिए चर्खा सघ की ओर से पाठशालाएँ चली रही हों उनमें चार दर्जे तक बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू करने की कोशिश की जाय।

## ५ प्रौढ शिक्षा—

कामगारों के पुरसत के समय का ध्यान रखकर प्रौढ शिक्षा के वर्गों का समय निश्चित किया जाय। पुढ़वा के लिए यह समय रात का खान में आपत्ति न मानी जाय। किन्तु स्त्रियों के लिए रात्रिशालाएँ नहीं होनी चाहिएँ। उनके लिए दिन का ही कोई अनुकूल समय इस काम के लिए चुना जाय।

इन वर्गों में भी कामगारों के अलावा अन्य व्यक्तियों को शामिल करने में आपत्ति न मानी जाय। बसते कि उनके कारण कोई खर्च न चलता हो।

कार्य की कुशलता को बढ़ाने के लिए परिश्रमालय की स्तत्र योजना उपर बनला दी गई है। प्रौढ शिक्षा की योजना कामगारों का अक्षरज्ञान बढ़ाने के हेतु में ही की जाय। यह अक्षरज्ञान इस प्रकार का हो कि जिसका उन्हें अपने काम में उपयोग भी होता रहे। आवश्यक अक्षर, गिनती व सरल हिसाब का ज्ञान खान तौर पर दिया जाय। इसके अलावा सतों की ब्यायें, मजदुर, वर्तमान परिस्थिति की ताबहारण जानकारी अलखारों में से देना आदि कार्यक्रम किये जाय। पुरानी रूढियों में जहा दोष हों वहाँ उनसे मुक्ति दिलवाना, भ्रम हटाना, ब्यसनो को दूरवाना, माया छुड़ करवाना आहार, चारों और बस शुद्ध रखवाना आदि सतों में इन वर्गों में रामशायी जा सकती है।

इस योजना के लिए स्वतंत्र कायकर्ता रखकर पूरा वेतन का खर्च करने की जम्बूरत नहीं है। सघ के कार्यकर्ताओं में से ही कोई कुछ समय इस काम के लिए दे सकें ता उनके वेतन का कुछ अंश इस खर्च में खालना ठीक होगा।

रात्रिशाला के लिये आवश्यक हो तो तेल और बत्ती का खर्च इस योजना में शामिल जा सकता है।

## ६ सुधार व सशोधन —

यह भी अनुमान की मदद रहे तो। अगर एक घात अवश्य स्थान में रहे कि कुत्रती तौर पर इन काम में जिन की विशेष रुचि हो और बुद्धिमान चरित्रों हो उस कार्यकर्ता मिलान पर ही पूर्ण योजना बन सकती है। ऐसे कार्यकर्ता न हों तो सशोधन व सुधार का यात्रना न बनाई जाय। उस कार्यकर्ताओं के वेतन का सर्वे और प्रयोगों में लगनवाने साधन सामग्री का सरा ही सर्वे इस मद में किया जाय।

सशोधन और सुधार के प्रयोगों में नीचे लिखी बातें गान्धिल मन्त्री जाय —

१. कर्मों में कर्म बनाने तक इसमाल स्थिते जान वाक प्रवृत्ति साधनों में हमारी मर्यादा का स्थान रक्षकर माल अञ्ज वा और उत्पादन अधिक हो ऐसे सुधार करना।
२. अधिक उत्पादन हो और माल अञ्ज बन एसे नये साधनों को छोड़ करना।
३. 'संरक्षण स्थानम्बन' की दृष्टि में साधनों में सुधार करना यानी जो साधन तुलना में मन्के ही कुछ कम उत्पादन देन वाले हो फिर मा कामगार को स्वतंत्रता कायम रखकर खा की कमी, सादगी और शारीरिक अ. व. की कला शक्ति का जो विकास करने वाक हों उस साधना की छोड़ करना, उत्पाद विराम करना और उनको ज्यादा से ज्यादा शक्ति जाचना।
४. कर्म की मजदूरी की दृष्टि से जोगई, घुमाई बतारी और बुनाई की क्रियाओं के बारे में कोई भी प्रयोग करना।
५. कच्चा और पका माठ तथा संरक्षण व गुण-दोष जाचन के साधन और सूत्र तैयार करना।
६. शादी के आज व काय में व्यवस्था सर्वे घगने की दृष्टि से या काम को सद्गलियत बढ़ाने की दृष्टि से किसी भी प्रकार का प्रयोग करना।

एव उपयुक्त सशोधनों के लिये सशोधक का उचित पारितोषिक दिया जाय। पारितोषिक की योग्यायोग्यता और मान सुनिश्चर करन का काम किसी समिति द्वारा करवाया जाय।

## ७ आरोग्य—

कामगारों के मोहले, तालाब, कुँवे आदि स्वच्छ करने के लिए लगनवाल कुछ पुटकर साधना

का या औजारों का सर्व्व इस मद में किया जा सकता है। मर्राई आदि के काम में सहायरी पद्धति पर कामगारों के परिधम को काम में लेने व ताद और वही वहाँ सर्व्व क कुछ हिस्से के लिए घड़े के रूप में भी उनसे सङ्कार मिलन पर बाको का सर्व्व इस सेवा णीव में से दिया जा सकता है।

आराम्य की दृष्टि से शरीर, कपड, आहार, पानी, जने अपने घर और माहल की स्वच्छता का मदव कामगारों को समझान के लिए आवश्यक कार्यक्रम इस सर्व्व से किया जा सकता है। मोहल्ले की स्वच्छता में, तालाब, कुवे आदि की स्वच्छता में जना तरु हो मके सर्व्व वम से वम करना चाहिए। कामगारों व साथ कार्यकर्ताओं को सुद इम प्रफार न सफाई में हिस्सा लना चाहिए।

खानपान में स्वच्छता के अलावा पोषण की दृष्टि से और प्राचीयोग की दृष्टि से उपयोगी आहार लेने के लिए कामगारों को समझाना चाहिए। जेग कि फानधानो का अमिध तेल, स्वच्छ गुद, बिना छड चावल, हाथ का पिसा आग आदि।

कपड स्वच्छ करन के लिए नजदीक में यदि सज्जीभिटी मिलना सम्भव हो तो साबुन के बजाय उसी का उपयोग किया जाय।

बाल या शरीर धोने के लिए बेसन, रीठ, सिन्नाई आदि गांव में पैदा होनेवाली चीजों का उपयोग बनलाया जाय।

व्यसन वम करन की कोशिश की जाय।

मोहल्ल की स्वच्छता के लिए तथा नालियों आदि के लिए कुछ सर्व्व करना हो तो जहाँ पर सब के कामगारों को सग्या एग ही खान में अधिन हो वन हो खान इम काम के लिये चुने जाय। यह काम इम ढग से वम से वम सर्व्व में करना चाहिए कि जिसका अङ्करण दूसरे देहातों में भी किया जा सके।

जौपधियों क बार में यथासम्भव आयुर्वेदिक औषधियाँ ही काम न लाई जाय। इन औषधियों को इस्तेमाल करने में भी कुरदरी उपचार यानी उजवाव, पेग की सुदि आदि का महत्व समझार कामगारों से उन नियमों का पालन कराने की कोशिश की जाय। दवाईयों का उपयोग कम से कम करने में श्रय है यह बात ग्याल में रखी जाय।

द्वेजा आदि सकामन रोग फलन का घर हो तब वरां के दिना म पानी उवालकर ही पीने का कामगारों में प्रचार किया जाय।

## ८ ऋणमुक्ति की योजना—

ऋणमुक्ति की योजना में मां सिर्फ़ पूजो लगान की दृष्टि रूढ़, तुकसान न हो। इस योजना में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। कई बार ऋण मिल जाने पर कामगार अपने काम में लापरवाही करने लगता है और माल साराब बनाता है। अपने काम में जागृत और प्रामाणिक कामगार को ही इस काम में शामिल करने की सलाहानी रखनी चाहिए। किसी भी बड़ी रकम का कर्ज नहीं देना चाहिये। अधिक से अधिक एक कामगार की रकम न २५ तक की हो। कर्ज की मुदत कमोमी १ साल से बितर की न हो। यदि हा सरु तो ६ महीने से अधिक मुदत न होन देा की कोशिश करना अच्छा होगा।

यह योजना कामगारों की सहकारी पद्धति पर बनाई जाय। इस योजना में शामिल किये गये कामगार दूसरे किसी के कर्जदार न रहें यह नियम बनाया जाय। कर्ज लेनेकाल के लिये उहीके मन्त्र में से दो या तीन कामगारों को जामिन रखकर ही कर्ज दिया जाय।

इस योजना में व्याज न लेना ठीक होता है। लेकिन बिलकुल बिना व्याज के रकम देने में कुछ और बुराईयां सही होने का मय रहता है। इसलिए यह उचित समझा जाता है कि २५ प्रतिशत सालाना याजपर रकम दी जाय।

कर्ज किस काम के लिए दिया जाय इसके लिए भी कुछ नियम बना लेना जरूरी है। इसकी ब्योमी सूची नीचे दी जाती है —

- १ घर में जाग लगने के बाद उसकी दुरुस्ती के लिए।
- २ वर्षों के प्रारम्भ में घर का छपर दुगस्त करने के लिए।
- ३ कामगार की या उसके अवलम्बित कुटुम्बी जनों की लम्बी बीमारी या मृत्यु के बाद की अन्वयविधि के लिये या प्रवृत्ति के लिए।
- ४ कामगार के लिए या उसके अवलम्बितों में से किसी की भी छादी के खर्च के लिए यदि वह बिना किजूलखर्च के थाड खर्च में ही होना हो।
- ५ किसी व्यापारी के मारो याजबाले कर्ज से पिंड टुडान के लिए।
- ६ मौसम में अनाज या वह समझ करने के लिए।

देशतों में मौसम पर अनाज या रुद छरकी मिल जाती है। पर एक बार माल व्यापारियों के पास पहुँच जाने पर बाद में वह कामगारों को बहुत मईगा मिलता है। यदि कामगार अपनी शिम्मेवारी पर

संस्त भाव में कुछ समझ बनना चाा ता दूकान का व्यवस्था संचे न लगाते हुए उन्हें इस प्रकार से कर्ज देने से अच्छी आर्थिक सहायता मिल जाती है ।

### कामगारों की जमा रकम

- (क) हमारा माल रुई, पुनियाँ, सूा आदि कामगारों के पास रहता है । विद्यन्त अनुभव यह रहा है कि, यदि उनके पत्रत म हमारे पास उनकी रकम जमा न रही ती उसमें से कुछ अश इष जाता है । दालिय उनका पास हमारा माल जितना रहे, उनके मुख्य की रकम हमारे पास जमा रहनी चाहिये । वहीँ २ शाखायें रुई और पुनियाँ कामगारों की बेच टती ह, और उसके दाम तबद ले लेती ह । यह तरीका बेहतर है, कारण इसमें हिसाब की शक्य मिग्जानी है । बुनरों की सूत बेचना मुश्किल हो जाता है, इगलिय उनके पास रहती वाले सूत के पत्रत में रकम रख लेनी पडती है ।
- (ख) हमें कामगार की स्वय और उसके कुटुम्बियों की भी खहर पोश बनाना है, इसलिए उनकी मजदूरी का कुछ अश रख लिया जाता है, और वह कपडा देो लायक जमा होने पर खादी के रूप में दिया जाता ह । मजदूरी का यह अश जिस परिमाण में हो, यह प्रश्न कुछ कठिन है । कुछ शाखायें रुपये पीछ २ आना और कुछ हमी अधिक् रसती है । एक अटमांस से कम तो कदापि नहीं रखा जा सकेगा, परन्तु अधिक् रख लेने म यत् सोच लेना चाहिष् कि कामगार की अपने निर्वाह संचे में ज्यादा अउचन न हो । जिन कामगारों क परिवार आदतन ख र पोश है, उनकी मजदूरी का काइ अश इस प्रकार रख लेने की जरूरत नहीं है ।
- (ग) हमारा सारा काम कामगारों के हित क लिय है, इसलिए काम बढाने में पूंजी की कमी कुछ अश में दूर करन की दृष्टि से ऊपर क और ख ' में लिखी हुई रकमों के अलावा, और भी कुछ रकम उजुली मजदूरी में से तारकर रख लेना बाजिब और जरूरी है । इस रकम का परिमाण क्या हो इसका विचार शाखा अपनी परिस्थिति के अनुसार करें । तथापि शीघ्र ही नहीं तो कुछ आगे चलकर शाखा की उत्पत्ति के हियत से यह रकम पन्ह की सदी तक होना योग्य है । शाखाओं की ' आवश्यक पूंजी ' यिनन में इन रकम का भी हिसाब लगाया जायेगा । हरेक कामगार से थोडी २ रकम ली जाय तो भी कामगारों की सख्या अधिक् होने क कारण, हमें एक सखी रकम बपरम्ब हो सफती है, जिसका काम शंउ में कामगारों ही को मिलता है । ऐसी



जमा रखी हुई रकम वापिस माँगन का कामगार को अधिकार है। काम छोड़ देने पर, वह उसका मिला जल्दी चाहिये, परन्तु यह माँग तब तक रकम की व्यवस्थागत क्षान पर रकम वापिस लाने के लिये कामगार काम बंद कर दे और फिर तुरन्त ही काम माँगन के लिये आये। इस ह्रास में कबल रकम लेने-देने का ही व्यर्थ परिश्रम होगा। इसलिए ऐसा प्रबंध हाँ कि उसे अपना रकम काम छोड़ने पर वच पा ६ महीने के बाद मिले। उस काम बंद की यह कर्ष ही होना चाहिये कि रकम इस प्रकार जमा रहेगी और काम बंद होने पर आगुत मिलाए के बाद ही वापिस मिल सकनी। य. पद्धति उहें अर्थात् ताह स समयमा देना चाहिये, और हमारी यह छर्त भी सब पर लिखित जाहिर कर देनी चाहिये।

- (घ) उत्पात्त के द में वर्द्ध के आगपग व कामगारों का मागी सत्ती मिन्तो चाहिये। सब का नियम यह है कि शहर में बिक्री भण्डार में जिन दर से पुनकर बिची की जाती है उन्म कम से कम १२-१५% कम दरें केन्द्र में कामगारों व लिये स्थानित उत्पात्त के भातकी रहें।

### औषधालय

हमारा काम बहुत दूर २ तक फैला हुआ है और विस्तृत भी है। इसलिए हमारे सब कामगारों के काम में आ सकें ऐसे औषधालय चला सकना अत्यन्त है। औषधालयों के बारे में सब की नीति यही है कि हम सब के र्च से औषधालय न चलावें। औषधालय चलाने हों तो, वे स्वावलंबी होने चाहियें, उनका भोजन सब पर न प, जो औषधालय से लाभ सठारें हों, उनसे सर्वे वापुल कर लिया जाय। यदि कामगारों का जैच तो ऐगी कुछ व्यवस्था हो सकती है कि वे थोड़ी २ रकम की मदद करके चला कर लें, उनका प्रबंध कर लने के लिये अपने में से हा कुछ की कमी भनावे और वह कमेगी संघ-वायकृष्ठा के माग दशन में काम करें। जाशय यह है कि कामगार लोग सहकारी पद्धति में अपने सार्वजनिक हित के काम करना सीखें।

इसके अलावा संघ की ओर से औषधि के लिये माग्द देना हो तो ऐसा कुछ इतजाम करना चाहिये कि कुछ सारी आधुनिक औषधिया केन्द्र व व्यवस्थापन के पास रनी जावें। यह औषधियाँ मागुली बीमारियों में काम पवन लायक हों, सख्या तथा परिमाण/म भी धाडी सी हों। उसका इस्तेमाल किस रोग के लिये कम किया जाये, इसके पत्रक छपवा लवें, जिनके आधार पर हमारे वायकृष्ठा उन औषधियों का कामगारों के लिय सामांय रोगों में उपयोग करें। ये पठित राग की विक्रिता अपने हाथ में बिलकुल न लें। इस खर्च का बजट, बजट समिति से मजूर करा लेना चाहिये।

## काम के हिस्साय से पूँजी

हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि हम कम से कम पूँजी में अधिक से अधिक काम करें। ठीक परिमाण निश्चित करना मुश्किल है तथापि त्रिभार वरके चर्या सघ फिट्टहाल इस निर्णय पर आया है कि हमारे काम के लिये पूँजी का परिमाण १० के लिये अजुगार काफी समझना चाहिये —

१	सूती खादो उत्पत्ति ( रुई स )	२०%
२	„ ( सूत स )	१७%
३	उनी उत्पत्ति	६०%
४	रेशमी „	३०%
५	मरजाम „	७१%
६	फुल्लर बिक्री ( मशारों तथा धजण्टों द्वारा )	२०/
७	„ ( उत्पत्ति के द्रव्याभिय उत्पत्ति )	१५%
८	„ ( बाहिर से लिये हुये माल की )	२०%
९	केन्द्रीय बन्धागार और माल रास्ते में	१०% शास्ता की पक्षी बिक्री का ।

ऊपर बन्धागार के लिए १०/ पूँजी की रकम रखी गई है, परन्तु सब माल बन्धागार में पहुँचकर बाद में बिक्री-मशारों में पहुँचाने की नीति ठीक नहीं है। उत्पत्ति-के-में में माल सीधे बिक्री मशारों में पहुँच जाना चाहिये। इस रीति से काम करने से पूँजी की रकम में भी कुछ बचत हो जायेगी।

साल भर काम आन के लिये रुई का रंग रखना पड़ता है। उस पर यदि किसी साहूकार या बैंक से रजम ली जाय तो रुई के रंग न हमें रकम न अर्वाती पड़। इसलिये हमें कुछ बँसा ही प्रबंध करने का प्रयत्न करना चाहिये। इनके अलावा कर्तियों द्वारा ही अपन अपने काम के लिये चाहिये उत्तनी कपास का या ऊन का रंग रक्षवाने का भी प्रयत्न करना चाहिये। इसके बारे का एक सविस्तर लेख 'सादा जगन्' के नितम्बर १९४१ क अंक में छपा है।

### घरख स्वावलम्बन

घरख स्वावलम्बन को उत्तेजन देना, और उसने बढ़ने में जो अन्वेषों हों उनकी हटाना हमारा कर्तव्य है। इस काम के लिये औजार, कपास या रुई, कातना सिल्लाना और सूत बुनवाना-इतनी

की जरूरत है। कपास व रूफ का साहू कानो बालों की अपना र रचना चाहिये। हमारे उत्पत्ति-केन्द्रों में अधिक माल हो तो हम वह ऊन्हीं उचित मूल्य में नकदी से बेच गजत हैं। हो सके तो बिक्री मंडारों में मर्गादिन परिमाण में पूनियां नकर बिक्री के लिए रणा जाय। हमारे उत्पत्ति-केन्द्रों तथा बिक्री मंडारों में अच्छे औजार बिक्री व लिये रखने चाहिये। यदि कहीं कम से कम ३० आदमी एक जगह नियमित रूप से कम से कम चार धोरे कनाइ और भुनाइ सीजन के लिये आवें तो उनका सिंगाने के लिये यथा सम्भव एक कार्यकर्ता रचना चाहिये। कार्यकर्ता को पूर गमय का काम देने के लिये आवश्यक है कि वह दिन भर में चार चार घण्टों के दो समय सुकरीर कर लेवे, और प्रत्येक समय में कम से कम १५ घण्टियों की मीमांसा के लिये बुलाव। कार्यकर्ता का वजन चर्गा सय देवे। उसके रहने के स्थान का तथा अय खर्च का प्रबंध स्थानिक लोग कर। चर्गा सय के उत्पत्ति केन्द्रों में मृत बुनने के लिये आवे तो बुनने की मजदूरी तथा भोजन कार्यालय का खर्च लेकर मृत बुन दिया जावे। यदि मं र में बख्खस्वाल्बी मृत बुनने के लिये आवे तो इस प्रकार का मृत २० सर वजन का मगह होने तक वही रख लिया जाय। उतना समह होने पर मालगामी (शुम् मून) से पान क चर्गा सय के उत्पात्त-केन्द्र में भेजा जाय। बुना जानेपर अय माल के माय कपडा उठी मंडार में पहुचाया जाय। वही से वह मृतवाले को बुनाई व काम नकदी लकर दिया जाय। यह मृत और कपडे भेजने का खर्च चर्गा सय करे। इन व्ययहार में यह दाव है कि कपडा बहुत देर से दिया जा सक्ता है। कमी २ एक दूसरे के मृत की बदला बदली हो जाती है। कमी २ मृत के बइल गुम हो जात हैं, और कमी २ मृत-मालिक की हिदायत के मुताबिक कपडा नहीं बन पाता। मंडार क ध्यवस्थापर को चाहिये कि वह यह सब अच्छे मृत वाले को बतला दे। यदि वह इतन पर मी अपना मृत देना चाहे तो उसे लेकर बुनना देना चाहिये। वही २ स्थानिक उसाही सावजनिक कार्यकर्ता कुछ सगठन बनाकर मृत वतवाते है, और स्थानिक बुनकर द्वारा बुनराने को कायिदा करत है। उसमें कार्यकर्ता क निर्वाह का प्रयत्न सडा होता है। उस सगठन को मदद पहुचाने के लिये चर्गा सय एक वगीतज्ञ पोल एक आना नये कातने वाले के मृत के लिये मदद देवे। परंतु यह मदद साल भर म किमी एक क्षेत्र व जिसकी त्रिया ५ मील से अधिक न हो सगठन के लिए रुपये (२२०) से अधिक न हो। पुराने कातने वाले के लिये यह मदद कमसे कम क्षरर अधिक से अधिक दूगर सात के अत म बंध हो जाय। इस योजना में यह रख ल रहे कि दिन व दिन मय २ बख्खस्वाल्बी सय कातने वाले तैयार हाने चाहियें। इस उद्देश्य का सिद्ध करने लायक नियम बनाकर यह मदद देनी चाहिये। इसके लिये कन्द्रीय कार्यालय से मजदूरी लेनी चाहिये। बख्खस्वाल्बी मृत कातने वाला अपना मृत चर्गा सय के किंगो उत्पत्ति केन्द्र में या बिक्री मंडार में लाव तो उस उद्योग मृत परीक्षा करक चर्गा सय की दरों में इग शर्त पर मोल ले लेना चाहिये कि मृत वाला अपन मृत क वजन की खाती, निराक कि मृत का तबर उसका मृत के समान या अधिक हो सरीद कर ल। अपना मृत का मूल्य काटकर उतनी खादा का मूल्य नकदी दे दे।

बजन की सादा देन में शायद सूत बाल की कुछ अचान हो, इसलिये कुछ समय के लिये, इस काम की उत्तम देन के इरादे से सूत के मूल्य की सादी ही दी जा सकती है। परन्तु मूला करने समय यह सावधानी रखनी चाय कि सूत लात बल व्यक्ति ने स्वयं या अपने कुटुंब में ही सूत काता या कतवाया है या नहीं। इसके लिए निम्न लिखित मर्यादाएँ उपयुक्त होंगी —

१. किसी एक व्यक्ति से एकक टाई सेर से अधिक सूत एक दफा में न लिया जाय।

२. सूत ६४० ताप अर्थात् ८४० गज की लच्छियों में ही लिया जाय।

३. सूत भी म्यांग रहने मिल की पूनियों या सूत का सरोदा चाय। ऐसे याने मिल की पूनियों से कते सूत की उनसे लिए बुनना देन में हर्ने न समझना चाहिये।

हमार किसी मारों में किसी के लिए पूनियों का बदल रसे जाते हैं उनपर उन पूनियों से कितने नबर तरफ का सूत कातना उपयुक्त है उतनी सूचना का लिखा रहना आवश्यक है। जिससे कातन मात्रा उम गई की शक्ति से अधिक नबर कातन के प्रयत्न में कमजोर सूत न कात।

यदि यहीं से बुनकर की मांग आव तो उचित शर्तें तय करके मागन बाल के सर्च से बुनकर भेजने की भी कोशिश करनी चाहिये। जहाँ तहाँ मिल का सूत बुनने वाले बुनकर प्रायः रहते ही हैं। उनकी हाथ सूत बुनना गिम्बाना चाहिये। इस प्रकार यवाममव व्यावहारिक तरीकों से बख्तस्वावलमन के काम की मदद पहुँचानी चाहिये।

बख्तस्वावलमन के काम में सब से मारो दिक्कत बुनाई की है। अब हमारे बहुत से कार्यकर्ता कताई में कुशल हो गये हैं इसलिये वे कताई के बारे में जो प्रश्न खड़े होत हैं, उनका हल ढूँढ निकाल सकते हैं। परन्तु वे बुनाई में इतने नाकार न होंन के कारण उम समय की कठिनाई दूर करने में अपने को अगम्य पाते हैं। जिस बुनकर की मिल का सूत बुनने की आदत है, उसको हाथ सूत की प्रयुक्त बुनाई दिखलाने उपरि जातमविभाग पैदा नहीं कर सक्त। प्रत्यक्ष प्रयोग करके यह साबित नहीं कर सकते कि हाथ सूत का बुनाई में भी बुनकर का पूरी आमदनी हो सकती है। इसके अलावा यह बुनकर का दूसरे दीप भा नहीं हूना सक्त, तथा नये बुनकर नहीं तैयार कर सक्त। इसलिये चर्चा सध न अब बुनाई कार्यरत्ता की पराक्षा कायम की है। छात्राएँ अपने कार्यकर्ताओं को बुनाई काम में अधिक से अधिक मत्था में कुशल करा लें।

हर वर्ष बख्तस्वावलमियों की अपने अपने प्रांत की फेहरिस्त बनानी चाहिये। तथा उनकी संख्या बढ़ाने का ज़रदार प्रयत्न करत रहना चाहिये। इसी संकथ में यह भी लिख देना ठीक होगा की सध,

के कार्यकर्ताओं पर एने वयस्वावर्ती हान का जिम्मेवारी विशेष आती है। सच, कार्यकर्ताओं की उक्त प्रकार के वयस्वावर्ती हान की भर वागिष्ठ कर तथा कार्यक्षता भी वन वयस्वावर्ती होना अपना कर्तव्य समझें। वयस्वावर्ती की याग्य यह है कि जो अपनी खुशी से मतत-सपूर्ण सारी पहिना हो, और नियमित रूप से हर महीने कम से कम ७५ गुंठी गृत कानना हो।

गत दो तीन सालों से कई प्रांतों में चर्मा-नयन्ती क मीके पर एत और चन्दा जमा लिया जाकर पूज्य गांधीजी का अर्पण किया जा रहा है। मंडलाजी इसका उपयोग सारी काम में करने का आदेश देते रहे हैं। उनकी द्वितीयत है कि चर्मा जगती के नाम से चन्दा फवल सारी काम क लिए ही लिया जाय। इस चन्दे तथा एत का परिमाण साल व साल बढ़ता ही आया है और आशा है मविष्य में भी वह अधिकाधिक बढ़ेगा। इस रकम व एत के उपयोग का कई तरीका अस्तित्पार करना जरूरी हो गया था। इसलिए इसबार की सच की सभा में इस प्रश्न का विचार होकर पूज्य गांधीजी की सलाह से निम्न प्रस्ताव पास हुआ है —

“ निश्चय हुआ कि चला सच व मन्त्री जी उम उम प्रात वार कुछ व्यक्तियों की निनकी सग्या ११ से अधिक न हो एक सलाह समिति बनार उमरा सलाह का ग्याल करके रकम का उपयोग उस उम प्रात में सारी काम क लिए विशेषत वसता वठवन के निय करने का प्रबंध करें।”

टोट — यहाँ पर यह बतला देना अनुचित न होगा कि पूज्य गांधी जी की जमगाठ की सग्या गिने म भी वहाँ वहाँ विभिन्नता रही है। कुछ लाग हिंदू पद्धति से निनत है तो कुछ पाश्चात्य पद्धति के अनुसार। सच ने इनपर गौर करने क बाद निश्चय किया कि यह जम दिवस गिनकर मानी जाय अर्थात् आगामी जयती ७४ वीं गिनी जाय।

### कार्यकर्ता-शिक्षा-शिविर

हमारे कार्यकर्ताओं को अपन काम में कुशल होने व सार २ सारी क सिद्धांत अच्छी तरह समझ लेने चाहिए और उनके अनुसार यथासमय अपना निजी जीवन बिताना चाहिए। इसके मदद रूप दिहबर १९४१ की सभा में सच ने निश्चय किया है कि एउ एउ मास की अवधि के कार्यकर्ता शिविर शाखाओं द्वारा चलाये जाए, जिनमें जस आचार्यों की देखभाल में कायदलाओं का रसतर उनको सारी का विज्ञान बतलाया जाय साथ ही व व १०० अत्यंत सार जोगन स रह, जहाँ चाय, कॉफी, संवाकू, पान, बिनी पाणि व्यमनों की चीनों का बिलकुल इस्माठ न हो, और सत्र काम रसोई बनाना, सारई पालाने साफ करना आदि स्वयं अपन हाथों से किया जाय और नीतर बिलकुल न रखा जाय। शाखाओं को चाहिये कि वे सुविधासुकर से शिविर अकर चलाय। एक शिविर में ३० से अधिक

कार्यकर्ता न हा हा ठीक होता। परन्तु धारे धारे शाखा के सभी कार्यकर्ता एक एक बार शिविर शिक्षा का काम उठा सकें यह म्याल बना था। शिविर जीवन संबंधी विस्तृत नियम 'सादी जगत्' के जनवरी १०४२ के अंक में पृष्ठ २८८ २४९ पर दिये गए हैं।

चर्चा सभ के कारागार में कुछ सिद्धांत सम्बन्धी सामयिक प्रश्न सन् १९४२ में पूज्य गांधीजी के सामने दिसम्बर २९४२ में चर्चा सभ की समाप्ति के समय रखे गए थे। प्रश्न और उनके उत्तर कार्यकर्ताओं के समक्ष के लिए उपयुक्त होकर कागज नीचे दिये जाते हैं —

**श्री जाजूजी के प्रश्न में पहिली बात यह थी —**

“करोड़ों की हाथियों न हो पर केवल सादी बनवाकर चक्र देना ही सादी का संपूर्ण उद्देश्य साफल्य नहीं है। हम सादी कार्यकर्ताओं को अपना कर्तव्य समझना चाहिये कि साथ ही अहिंसा का स्वयं मरणांतुकरण करते हुये व सादी व सिद्धांत का अपने जीवन में उतारते हुये अपने नैतिक प्रभाव से हमारा जिन २ से सम्पर्क आता है उन सबको उन सिद्धांतों के अनुसार चलाने की प्रेरित करना है। इसलिए सादी काम में विशिष्ट प्रकार के कार्यकर्ता चाहिये। अब भी कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं से साथ मिलाने हैं। परन्तु बहुमतांक कार्यकर्ता जिस कोष्टि के होंगे वैसे ही रा उनके आधीन कार्यकर्ताओं पर चढ़ सकेगा। आज सभ के ३००० कार्यकर्ता हैं। काम बढ़ने के साथ २ उनकी संख्या कई गुनी बढ़ सकती है। शारे भारतवर्ष में फैल चुके कार्यकर्ता समाजसेवा की एक बड़ी अभाव शक्ति बन सकते हैं। एम कार्यकर्ताओं की संख्या कैसे बढ़ाई जाय ? देश की मलाई के लिए त्याग तपस्या का चरम है। रचनात्मक कार्य का सहज सत्याग्रह से अधिक माना गया है। और रचनात्मक काम में लग्य हुआ को जल की सातना से मुष्क रखा गया है। पर हम त्याग तपस्या से मुक्त नहीं मान जा सकते। आज बहुत से कार्यकर्ता सभ के दूत मदरस हैं। अवश्य, पर मेरे म्याल से उनसे बहुतसे नियम के बंधन के कारण से हैं, नकि अपने उतनाह से। हम लोग से चाहते हैं कि ये बख्स्तावन्दी होने के लिये नियमपूर्वक दर मास ७५ गुडी दूत फाँसे। पर कार्यकर्ताओं से तो स्वयं अल्प संख्या ही बना सकते हैं। सादी पहिले के धार में भी कुछ दिवायते हैं, सादी के अर्थ सिद्धांतों की बात तो दूर रही। हमें कार्यकर्ताओं के नैतिक गुणों की ओर अधिक म्याल देना चाहिये”।

**इसपर पूज्य गांधीजी का उत्तरव्य इस प्रकार था —**

श्री जाजूजी का प्रश्न कि पहिले गिठ चुका था। इसमें काफी बातें मुझ प्रिय हैं। मैंने इसपर आज कुछ चर्चा कर लेना आवश्यक माना है। आर इन्हीं चर्चाओं से मुझ निश्चिन्ता होती तो शायद मेरी भाषा कुछ मित्र रहती, पर चर्चा वही होती। इसमें सिद्धांत ठीक ~~समझने~~ ~~होते~~ हैं।

यह दूसरी बात है कि उन पर अमल क्यों न हो सके। तबिन् अन्धकार कि जिज्ञा को हम मान्य समझ लें। सिन्धु कायम हो जाना पर हमारा गचन भी दृष्टि पर हो जाता है। आपन में मनुष्य के लिये स्थान नहीं रहता। अमल म यदि कभी हो तो प्रयत्नशील बनें। प्रयत्न क सिन्धु हम और कर भी क्या सकन है।

श्री जाजूजी न बनना है कि अगर गांधी की जड़ में जा जिज्ञा है उनको हम। जाड़ी तरह पहिचान नहीं लिया तो जिनने मा खादी हम परा कलें हमारा काम गिरने लगता है। सिन्धुमान सादोमय तो पहिल मो था। इतना ही नहीं, दुनियाँ का यह बड बड देशों को मा खादी पहुँचाता था। लेकिन आज हम उगपर अमान गरी कर सक्ता। उरा बल मा जो क, सबध राजकाज से नहीं था। उन दिनों राजा और वारमरा नो लाग का बाडू से गरीबों का गुन्धर खानी ली। उस पक्षे थ और इस तरह उन इकट्ठा करन थ। इसीलिये आज मा हमें खादी की बात गमान में दिखत होनी है।

लेकिन आज हम यन् मान्य है कि खादा हमारा मुक्ति का माधन है। मने यद् बड सन् १९०८ में पहिले सोची थी। जो खान पहिले हमारी गुलामी का कारण थी आज वहा हमारी मुक्ति का द्वार होगा, यह समझ कर हमें चलना है।

इसीलिये हमने जाँची का जन्म मत्य और अहिंसा पर रची है। अगर हम जड को भूल जाँच और किसी न टिणी तरह म खादी परा करन की बाकिश करें ता भीका जा जायगा कि आखिर हम खादी का नला दें। दूसर रचनामक कामों को बाई उनना मजाक नहीं उठाना और उतना विरस्कार नहीं करता जिनना खादी का मजाक लोग उठान और सिंदा करे। ह। जिनों के आ जाने से उन्हें ऐसा करन का और मो भीका मिल गया है। उनही दृष्टि मे यह बात गीक है। व कहते है कि पहिल भी खादी थी तो फिर हम गुलाम क्यों बने। इसी खादा का हम स्वगज्य का जरिया कस समझें। हमका जवाब देना सच का वर्त्तय है। श्री जाजूजी न यही प्रश्न रला है।

खादी ता हमें बहुत बन् पैमाने पर बनानी है ही, यह बात भी हमें सोचनी है। तबिन् अगर हम सत्य और अहिंसा को भूल गये तो हम जिनती मो खादी बनावें जाबिन् हम उगे मा दग। अगर हम अपनी जन्म का न पक्के तो हम में गन्गी भी परा हो सक्ती है। इसलिये कार्यकर्त्ताओं की चाहिये कि खादी के सब काराबार की स्वच्छता के बारे में भी वे यत्न करें। आज जब की हम बहुत बन् पैमाने पर खादी बनान की बात सोचन है, तब जड का नला रूना चाहिये। आज मैं यह नहीं कहूँगा कि हमारी सब की सब कर्त्तिते मो सत्य और अहिंसा को पहिचानें। तबिन् अपन ३००० कार्यकर्त्ताओं के बारे में म यह जम्बर कहूँगा। यदि न ऐस नहोँ होंग ता हमारा काम अच्छा तरह नहीं चलगा, हम हूब जायगे। श्री भारतानंदजी न १० साल में सिन्धुमान को पूरी खादी देनी हो तो हरसाल निम क्रम से

खादी पहनी चाहिये उसकी पत्र योजना बनाई है। आज तो वह बवल जागज पर के आंक है। मगर यह एक मधो चोज भी वा मफती है। मगर यदि कार्यकर्त्ता ही ऐसे न मिलें तो वह कैसे होगा ? यदि हम तय करलें तो हम सपन बन मफत है इन चोज को श्री जानूजी न पहिला खान दिया है वह ठीक हो है। इस तरह व कार्यकर्त्ता के त पैसा वरे ? यह प्रन हमारे नामन है। जागृत रतन २ हम में अहिंसा और त्याग वा मायना पैदा होगी। त्याग की शक्ति ता हिंसन मा रता सजता है। शिखर नी त्यागो उदा गता है। व ता हिंसा वा गुर्न है। सुना जाता है कि वह निरामियाहारी है। मुहा मानन में फिकन आतो है कि फिग यह इनत कतल को उसे बगदान वर रता है। यह कुछ भी हो उसका जोवन त्याग स भरा बतलाया जाता है। वह नि यसनी है। उमन शारी नहीं की है। उसका आचरण साफ बतलाया जाता है। यह बहुत जागृत रतना है। हमम तो त्याग और अहिंसा दोनों चाहिये। अहिंसा का अर्थ है प्रेम, पहल मुख्य वायवज्जाओं में यह पैदा होना चाहिये। मुहा स गुरू करें। मर बाद जाजूनी म और पिरु कॉलिर के सदस्था में। हम जागृत रहें और सावधान बनें। हमारे जीवन का प्रभाव जनजात में भी कार्यकर्त्ताओं पर पडल। तब हम खादा क वारे में नि राक और निर्मय बन सकेंग। हमारी प्रगति मल धीमी हो मगर जो मिद्धत बनाये है उह टोडना नहीं चाहिये। उन्हें हम न छोडें तो हम सफल होंगे ही।

## खादी कार्यकर्त्ताओ का वेतमान ।

श्री जानूजी के पत्र का अर्थ —

कार्यकर्त्ताओं के निर्वाह का प्रश्न गृहत्व का है। यह विद्वान माग लेना जरूरी है कि हम कार्यकर्त्ता लोग रोना के लिये हैं। हम सप व भिये ह कि सप हमारे लिये। हमारे कुछ कार्यकर्त्ता उन्हें जितना बाहर मिल सक्ता है उमते काफी कम तैता लेन है। पर कठिन प्रश्न तो यह है कि धतन का निश्चय वरे में हमारा मानदल क्या हो। कहा गया है कि आदर्श गमान में एक मजदूर का तथा एक बडे से बर याथाधीश वा भी वेतन समान हो। लंनि आज तो यह बात दूर थी, कल्पना की पधे स्वप्न की समझनी चाहिये। हमन मादूरों की मजदूरी तीन आने पर राग ली है। मजदूर और कार्यकर्त्ता में सामान्य मानलिया है। उसका समर्थन को गनाइह मा है। मजदूर घर व उग्रवाड प्राय समा वमान है, जय कि कार्यकर्त्ताओं में सामाजिक प्रया व कारण एक-आध ही वमाना है, बारी के पर बाड उगो पर अलम्बित रहत हैं। खान पान व रहन सहन की आदने भी युगी हैं कि कार्यकर्त्ताओं को अधिक स्वर्च किय बिना नहीं चलता। पर हमारे लिये चिन्म प्रश्न यह है कि कार्यकर्त्ताओं के घटा में परम्पर गहन रात अन्दर पहा लर रहे। जागृतताजा वा मान हमारे का नहीं। कारण आवश्यकताओं क वार म तबनी वरणायें मिष्ट २ है। समय न रत ता



प्रति मां नहीं। हमारी तरफ आधुनिक की नहीं, व्यावहारिक है। इसलिए हम आशयवादी नहीं  
 की ही ज़रूर ध्यान देने और व्यावहारिक गणना की पक्का न करें तो हमारे लिए काम  
 बिना ज़रूरत। हमारे काम का नैतिक पहलू भी कुछ कम महत्व का नहीं है। इसलिए  
 हमें योग्यता की सामान्य देने हुए उन 'गो गो' व 'मिडिल' में नियोजन करना ज़रूरी है।  
 हम मनुष्य वर्ग में अलग वर्ग पर कार्यरत लोगों में तो यह ज़रूर काम में कम रहना ही उचित होगा।  
 यदि अधिकांशों का वजन अधिक हमारे व्यवसाय-कार्य का मां वजन बढ़ाने दे तो बहुतों की  
 बाजार के मूल्य में आरंभ नान देना होगा, और लोगों की यह एक संस्था शिक्षादान रहेगी कि चर्चा  
 मय किन्तु लोगों का ध्यान मात्र ही न देना है। अधिक स्थिति की दृष्टि में हमारे  
 कार्यरतों नियम मध्यम होगा। इस दृष्टि में आवश्यकतायें समान होने पर भी जब एक दूसरे के वजन  
 में अधिक अंतर है। जकां जाता है तब हमारे काम नैतिक जगह नहीं रहना। याम्यता, अनुभव  
 पुराना धर्म व व कार्य की जिम्मेदारी यदि कार्यों में कुछ अंतर अपने आप ही हो जाता है। प्रथम  
 यही है कि वह कहां तक है। प्रथम व्यवहार में यह अंतरक जाता है। एक जगह अधिकारी व मातहत  
 वर्ग के वजन में अंतर अधिक रहता है वही उदाहरण तात्कालिक-नीति का सा हो जाता है।  
 सावियों-वास्य नहीं रहता, अधिकांशों का अपने कार्यरतों में पर नैतिक प्रभाव भी नहीं पड़ता,  
 बातावरण प्रायः व्यापारिक ही बन जाता है। दूसरे व कार्यरतों भी हमें सादा कार्यरतों में से ही  
 तैयार करन पड़ता है। उदाहरण तात्कालिक-नीति में सातोय कि बिना काम ही नहीं चल सकता।  
 इन विभिन्न दृष्टियों में विचार करन हमारे कार्यरतों की वजन मयादा का प्रश्न बहुत ही महत्व  
 का प्रश्न है। तथापि इस क्षेत्र में प्रथम बहुत ध्यान दे, कारण यह तो है कि याम्यता नहीं रहना, दूसरे  
 इसमें कार्यरतों का व्यक्तिगत सम्बन्ध होना व कारण और समझ होना समान है। मैं कोई आशय  
 नहीं रखता। सादा सर्व कार्यरतों में ही इस प्रश्न का बनी समीक्षा से विचार करना चाहिये।

**पुण्य गांधीजी का प्रत्युत्तर** — निर्वाह वेतन का प्रश्न जटिल है। मैं भी इसका निर्णय  
 नहीं कर सका हूँ। एक-एक आदमा है, उमरों योग्यता भी बड़ी चर्ची है तो मुझे प्रलोभन होगा  
 कि मैं हमें उच्च व सज्ज। अगर हम कोई नियम बनाते तो फिर उच्च पालन होना ही चाहिये।  
 मैं भी स्वयं ऐसा नियम बनाने की कोशिश नहीं करूँ। पर आज हमें अपनी साधारण स्वीकार करनी  
 पड़ती। पुण्य नियम का हमें बताना ही नहीं मकन कि जिस आदमा ही न मिले। पुण्य नियम बनाने  
 का मतलब होगा कि हमें साधारण की नहीं पहचानने। इस प्रकार तो हमें अपने को तीन-आना देने  
 का अपनी क्षति भी हो सकती है। यह बात सही व सही है कि जब हम कठिन की तीन आना मजदूरी  
 देते हैं तो सुन भी तो उन पर ध्यान रहे। मैं तो हमें कठिन का यह गुना उगाता है रहे है।  
 हमारे मकन से कम वजन पान व लाना। उदाहरण के लिए पाना है। अगर मुझे अभी क रान व कुल

करना पड़ता है कि यह चीज हमें मुस्लिम में गूँथ देनी। पर मेरे पास कोई अतोष कारक जवाब नहीं है।

### प्रश्नोत्तरी

**जाजूजी** —सब व पास खादा का मोनापली है। हमें वह अपने पास रखने का तब तक ही हफ है जब तक हम उमका सद्बुपयोग करते रहें। मेरे ख्याल से उसका सद्बुपयोग के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम अपना सारा व्यवहार गराइ स कर, खर्च कम स कम रखें, मजदूर को मजदूरी पूरी दें और ग्राहक को खादी यथासम्भव सस्ती बचें, मुनाफा न कर। पिछले कुछ वर्षों के मुनाफे की ओर ख्याल करते हुए माइम होता है कि अब कुछ समय के स्थिति नीति थोड़ा नुकसान बरदाश्त करनी पड़े तो अच्छा हो।

**गाधीजी** —यह विचार योग्य लगता है।

× × × ×

**जाजूजी** —राम के वार में केन्द्रीय दफ्तर और शाखाओं में अभाव और अविश्वास रहता है। राम का पूरा उपयोग होना अत्यन्त आवश्यक है। शाखा के पाप रकम कानिठ रहे तो वह केन्द्रीय दफ्तर में आ जानी चाहिये। खरत हा तब फिर मिलनी चाहिये। इस व्यवस्था में एक अच्छे बन सजे होना सम्भव है कि सब रकम अथ शाखाओं में लग जाने पर जिस शाखा न रकम लौगाई है उसे शायद समय पर न मिल। पर हम ख्याल से रि मव शाखायें सच की है, सच के समूचे काम के लिये किसी शाखा विशेष को रकम की उगी भोगनी पना ता वह सहन करनी चाहिये। सब शाखाओं को यह भी अपना कर्त्तव्य मानना चाहिये कि केन्द्रीय दफ्तर को जरूरत हो तब अपना काम कम करके भी रकम लौगा देव। शाखा तों भी परस्पर न बर्ज या छडवांग रकम लेने देन वा ख्याल छोड़ देना चाहिये, और खरीदे हुए माल की बीगत वक्त पर देनी चाहिये।

**गाधीजी** —यह तब विन्कल ठीक है।

× × × ×

**जाजूजी** —हमारे वायकताओं के लिल में प्रांतीयता और जातीयता के मात्र विन्कल न रहने चाहिये। शाखा में अधिकतर वायकता प्रांतीय रहना स्वाभाविक है, पर जरूरत हो ता पर प्रांतीयता को भी अलग कर में उसे में शाखा के किसी अतिरिक्त के मन में मिश्रण न रहनी चाहिये। वास्तव में पर प्रांत के होकर भी जो प्रांत के वाणिज्य हो गये हैं उन्हें प्रांतीय ही समझना चाहिये। मराठ में तामिलनाड और जीव के अलग २ मंडार चल रहे हैं वद वाद प्रांतीयता की पाषण समझनी चाहिये।

**गाधीजी** —विन्कल ठीक है।



